अध्याय-6

अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

अध्याय-6: अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1 कर प्रबंध

इस अध्याय में मनोरंजन शुल्क, विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू-विज्ञान तथा भू-राजस्व से प्राप्तियां शामिल हैं। इन करों का प्रबंध एवं उद्ग्रहण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए अलग से निर्मित संबंधित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 में खदान एवं भू-विज्ञान (17 इकाइयां), विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क) (03 इकाइयां), भू-राजस्व (26 इकाइयां) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क) (06 इकाइयां) से संबंधित 167 इकाइयों में से 52 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 825 मामलों में ₹ 1,476.29 करोड़ से आवेष्टित कर प्राप्तियों तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो **तालिका 6.1** में वर्गीकृत किए गए हैं:

तालिका 6.1

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्य प्रणाली	751	1,476.21
2	नकल एवं म्यूटेशन फीस जमा न करना	72	0.04
3	विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क)	02	0.04
योग		**825**	**1,476.29**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 816 मामलों में ₹ 1,274.95 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें 552 मामलों में आवेष्टित ₹ 809.04 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 55 मामलों में ₹ 28.76 करोड़ वसूल किए, जिनमें से आठ मामलों में आवेष्टित ₹ 28.75 करोड़ वर्ष 2017-18 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 1,476.21 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित "खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग, समरूप मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

6.3 खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली

6.3.1 विशिष्टताएं

- कुल 95 में से 77 ठेकेदारों ने पांच और 891 दिनों की सीमा के मध्य देरी के बाद अनुबंधों का निष्पादन किया और नौ ठेकेदारों ने अनुबंधों का निष्पादन नहीं किया।

(अनुच्छेद 6.3.8.2)

- ठेकेदारों/पट्टाधारकों द्वारा वार्षिक संविदा राशि/डेड रेंट के 25 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करनी अपेक्षित है, जिसमें से 10 प्रतिशत नीलामी के समय प्रारंभिक बोली जमानत के रूप में बोली जमा की जाएगी और शेष 15 प्रतिशत बोली प्रतिभूति खनन परिचालन शुरू होने से पहले या लेटर ऑफ इटेंट जारी करने की तिथि से 12 मास की अवधि व्यतीत होने से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा की जाएगी। 59 ठेकेदारों ने ₹ 132.02 करोड़ की शेष बोली प्रतिभूति तीन से 854 दिनों की सीमा में विलंब के साथ जमा की और 11 ठेकेदारों ने ₹ 29.28 करोड़ की शेष बोली प्रतिभूति जमा नहीं की।

(अनुच्छेद 6.3.8.3 (i) तथा (ii))

- विभाग ने ₹ 808.21 करोड़ के संविदा राशि के कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 69 ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की। ₹ 347.63 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.9.1)

- विभाग ने खदान और खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में ₹ 49.30 करोड़ कम जमा करने/जमा न करने के लिए 48 ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की। ₹ 17.44 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.9.3)

- सरकार ने खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में अपने हिस्से का ₹ 17.70 करोड़ राशि का अंशदान जमा नहीं करवाया।

(अनुच्छेद 6.3.9.4)

- सरकार ने खदान और खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में ₹ 4.61 करोड़ का ब्याज क्रेडिट नहीं किया।

(अनुच्छेद 6.3.9.5)

- चयनित रेत और बोल्डर/बजरी खदानों के भू-स्थानिक सर्वेक्षण से पता चला कि खनन योजनाओं में दिए गए अनुसार खनन स्थलों के समन्वय के मध्य मेल नहीं है जैसा कि साइट निरीक्षण पर देखा गया है।

(अनुच्छेद 6.3.11.1)

- रेत खनिकों द्वारा नदी के प्रवाह में बाधा के कारण नदी का प्रवाह क्षेत्र बदल गया था।

(अनुच्छेद 6.3.11.3)

- 4,139 ईंट भट्ठा स्वामियों में से 181 मामलों में रॉयल्टी एवं अतिरिक्त रॉयल्टी के तौर पर ₹ 0.53 करोड़ जमा नहीं करवाए। ₹ 0.24 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.13.1)

6.3.2 प्रस्तावना

राज्य में गौंण खनिज संसाधनों जैसा कि पत्थर, रेत, बजरी, जिप्सम आदि नाम के प्रणालीगत विकास, खोज एवं उपयोग के लिए खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा उत्तरदायी है। खदान कार्यालय राज्य के 22 जिलों में से 15 में स्थित है जिसमें से 10 जिलों में खनन परिचालन किए जा रहे हैं। भिवानी और हिसार में अन्य गौण खनिजों के अतिरिक्त जिप्सम का खनन किया जा रहा है। खनन परिचालनों को नियमित करने के अलावा, विभाग स्टोन क्रशरों के परिचालन के लिए लाइसेंस की प्रदानगी/नवीकरण और ईंट भट्ठों में ईंटगारा मिट्टी की खुदाई के लिए परमिटों को विनियमित करता है।

खनन परिचालन दो प्रकार के हैं: (1) रेत, बजरी और बोल्डरज का खनन ऐसी अवधि जो सात वर्षों से कम न हो और 10 वर्षों से अधिक न हो, जिसे ठेके के रूप में दिया जाता है; तथा (2) पत्थरों को खनन पट्टे के रूप में उस अवधि के लिए दिया जाता है जो 10 वर्षों से कम और 20 वर्षों से अधिक न हो।

खनन ठेके एवं पट्टे ई-नीलामी द्वारा दिए जाते हैं। नीलामी के पश्चात विभाग सफल बोलीदाता को लेटर ऑफ इटेंट (एल.ओ.आई.) जारी करता है जिसके द्वारा एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर एक अनुबंध निष्पादित करना अपेक्षित है। बोली राशि, वार्षिक संविदा राशि या ठेके पर प्रदत्त क्षेत्र से खनिज निकालने के लिए ठेकेदार[1] द्वारा एक वर्ष में देय राशि है। सफल बोलीदाता द्वारा समान मासिक किश्तों में विभाग को वार्षिक संविदा राशि जमा किया जाना अपेक्षित है। संविदा राशि की पहली किश्त खनन परिचालन प्रारंभ होने से पहले या एल.ओ.आई. जारी होने की तिथि से 12 मास की अवधि व्यतीत होने से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा की जानी चाहिए।

पट्टा, रॉयल्टी[2], या अनिवार्य किराया[3] जो भी अधिक हो, विभाग को प्रत्येक मास के शुरू होने पर मासिक किश्तों में देय है। यदि एक मास के दौरान निकाले खनिज की प्रमात्रा पर निर्धारित दर पर परिकलित रॉयल्टी की राशि देय मासिक डेड रेंट से अधिक है तो अंतरीय राशि अगले मास की सात तारीख तक देय होगी। संविदा राशि/डेड रेंट/रॉयल्टी की मासिक

---

1 ठेकेदार ठेका या पट्टा आधार पर खनन का अधिकार रखने वाला एक व्यक्ति है।

2 रायल्टी हरियाणा गौण खनिज रियायत, स्टोकिंग, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन नियम, की रोकथाम 2012 में निहित प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर पट्टा पर दिए गए क्षेत्र से निकाले या हटाए या उपयुक्त किसी भी खनिज का मूल्य है। रॉयल्टी के तौर पर देय राशि निकाले गए खनिजों की प्रमात्रा पर निर्धारित की जाती है।

3 डेड रेंट एक वर्ष में एक व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा दिया जाता है, द्वारा देय राशि है चाहे उसने क्षेत्र का पूर्णरूप से या आंशिक रूप से परिचालन किया हो या न किया हो/कर सका हो या न कर सका हो।

किश्तों के विलंबित/कम/न जमा किए जाने पर वर्तमान नियमों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा ब्याज उद्ग्राह्य है।

सफल बोलीदाता को वार्षिक बोली राशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के तौर पर भी जमा करना पड़ता है जिसमें से 10 प्रतिशत नीलामी के समय पर तथा शेष 15 प्रतिशत खनन प्रचालन प्रारंभ होने से पहले या संविदा स्वीकार करने की तिथि से 12 मास के भीतर, जो भी पहले हो, भुगतान करना पड़ता है।

संविदा राशि के अतिरिक्त ठेकेदारों द्वारा उपयोग प्रभार का भुगतान खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनरूत्थान निधि में करना अपेक्षित है, जो संविदा राशि, डेड रेंट या रॉयल्टी, जो भी अधिक हो, के 10 प्रतिशत के बराबर राशि होगी।

सफल बोलीदाता द्वारा, इससे पहले कि वह खनन परिचालन शुरू कर सके, वन एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.), भारत सरकार (भा.स.) से पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करना अपेक्षित है। इसके लिए उसे खनन योजना तैयार करने और विभाग से इसे अनुमोदित करवाने की आवश्यकता है। खनन योजना अन्य बातों के साथ, मौजूदा खनन गड्ढों, उनके आयाम, खनन का प्रस्तावित ढंग, उत्पादन की दर, लगाई जाने वाली खनन मशीनरी के विवरण, खनन क्षेत्र के आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय, जल, ध्वनि और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले उपाय, प्रगतिशील खदान बंद करने की योजना और ऐसे ही अन्य ब्योरों को निर्धारित करती है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से ई.सी. प्राप्त करना अनुमोदित खनन योजना के लिए अनिवार्य शर्त है। प्रक्रिया का फ्लो चार्ट नीचे दिया गया है:

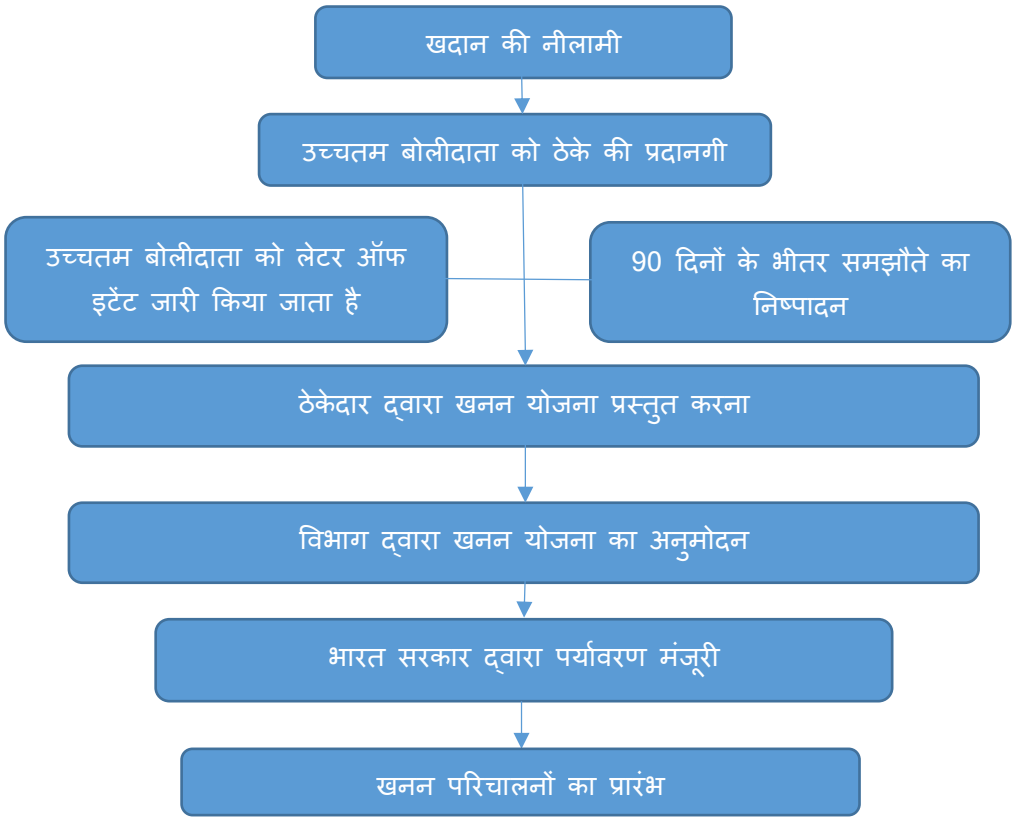

6.3.3 संगठनात्मक ढांचा

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा का संगठनात्मक ढांचा चार्ट में नीचे दिया गया है।

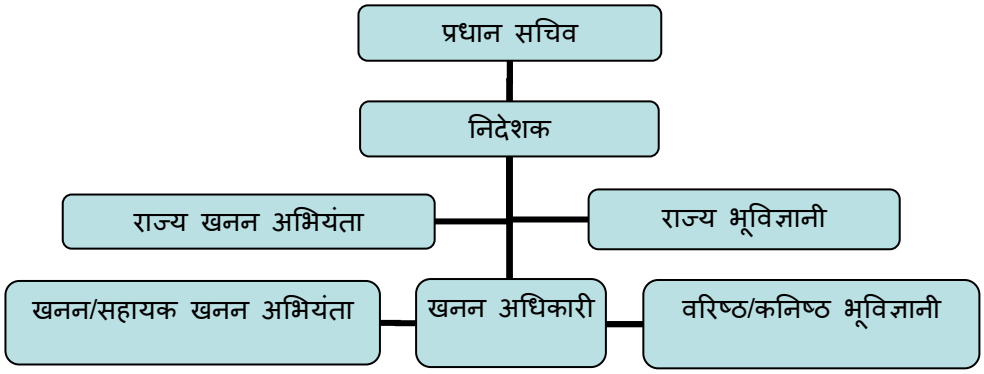

6.3.4 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विभाग के लिए राजस्व के मुख्य स्रोत हैं: (i) संविदा राशि, डेड रेंट, रॉयल्टी; (ii) ठेकेदारों से उपयोग शुल्क; और (iii) ईंट भट्ठा एवं स्टोन क्रशर स्वामियों से अन्य प्राप्तियां।

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब बजट मैनुअल के पैरा 4.2 में प्रावधान है कि विभाग की राजस्व प्राप्तियों के संशोधित अनुमान (आर.ई.) वर्ष के उन महीनों की वास्तविक प्राप्तियों पर आधारित होगा जो पहले ही व्यतीत हो चुके हों और पूर्व वर्ष की समरूप अवधि के साथ तुलना की गई वास्तविक प्राप्तियों की वृद्धि या कमी, यह मानते हुए कि वर्ष के शेष महीनों के दौरान उसी दर पर वृद्धि या कमी जारी रहेगी।

वर्ष 2012-13 और 2017-18 के मध्य विभाग के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका संख्या 1: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियों की वृद्धि (+) या कमी (-)		वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता वृद्धि (+) या कमी (-)	
	(₹ करोड़ में)			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
2012-13	225.00	75.00	75.49	(-) 149.51	(+) 0.49	(-) 66.45	(+) 0.65
2013-14	150.00	150.00	79.10	(-) 70.90	(-) 70.90	(-) 47.27	(-) 47.27
2014-15	500.00	40.10	43.46	(-) 456.54	(+) 3.36	(-) 91.31	(+) 8.38
2015-16	1,000.00	400.00	271.61	(-) 728.39	(-) 128.39	(-) 72.84	(-) 32.10
2016-17	1,040.00	600.00	496.95	(-) 543.05	(-) 103.05	(-) 52.22	(-) 17.18
2017-18	650.00	700.00	712.87	(+) 62.87	(+) 12.87	(+) 9.67	(+) 1.84

स्रोत: राज्य बजट और वित्त लेखे।

राज्य में खनन परिचालन मार्च 2010 से वर्जित थे। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने खनन परिचालनों को नवंबर 2013 से अनुमत कर दिया। विभाग ने दिसंबर 2013 से खदानों की नीलामी शुरू कर दी। जनवरी 2015 से खनन परिचालनों के प्रारंभ के बाद 2015-16 से विभाग की प्राप्तियां बढ़नी शुरू हो गई।

2013-14 के लिए बजट अनुमान यह मानते हुए तैयार किए गए थे कि पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र में खनन की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाएगी जिसे विभिन्न मुकदमों के कारण मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। 2014-15 और 2016-17 की अवधि के मध्य बजट अनुमान इस मान्यता पर तैयार किए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों के निपटान के बाद और रियायतधारकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पूर्ण पैमाने पर खनन फिर से शुरू होगा। तथापि, यह संभव नहीं हो सका और इसलिए आर.ई.ज को संशोधित करके कम करना पड़ा।

2015-16 (दो संविदाएं) और 2016-17 (चार संविदाएं) वर्षों के दौरान संविदाओं के रद्द होने और एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीने व्यतीत होने के बाद 69 ठेकेदारों द्वारा संविदा राशि/अनिवार्य किराया/रॉयल्टी के विलंबित/भुगतान न करने के कारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 में वास्तविक प्राप्तियां आर.ई.ज से कम थी।

राज्य के कुल कर-भिन्न राजस्व में विभाग की प्राप्तियों का अंश 2012-13 में 1.62 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में लगभग 8 प्रतिशत हो गया परंतु 2017-18 में यह घटकर 7.82 प्रतिशत रह गया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 2: कुल कर-भिन्न राजस्व की तुलना में वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	कुल कर-भिन्न राजस्व संग्रहण	खनिजों से वास्तविक प्राप्तियों	कुल कर-भिन्न राजस्व संग्रहण के संदर्भ में वास्तविक प्राप्तियों में हिस्से की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)		
2012-13	4,673.15	75.49	1.62
2013-14	4,975.06	79.10	1.59
2014-15	4,613.12	43.46	0.94
2015-16	4,752.48	271.61	5.72
2016-17	6,196.09	496.95	8.02
2017-18	9,112.85	712.87	7.82

स्रोत: राज्य बजट और वित्त लेखे।

6.3.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- खनिज रियायतों के अनुमोदन के लिए प्रणालियां, कार्यविधि और खनन संविदाओं/खनन पट्टों की नीलामी के लिए प्रक्रिया अधिनियमों, नियमों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार थे;
- सभी निर्धारित खनिज प्राप्तियों के उद्ग्रहण, निर्धारण एवं संग्रहण के लिए प्रावधान राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए समुचित रूप से लागू किए गए थे;
- खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनरूत्थान निधि की सरकारी अनुदेशों के अनुसार प्रबंधन एवं निगरानी की जा रही थी; और
- खनन एवं उत्खनन की निगरानी यंत्रावली समुचित एवं प्रभावी थी।

6.3.6 क्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए निदेशक, खदान एवं भू-वैज्ञानिक विभाग, हरियाणा चंडीगढ़ कार्यालय एवं राज्य के सभी 15 खदान कार्यालयों[4] की गतिविधियां शामिल थी। 10 खदान कार्यालयों में उपर्युक्त अवधि के दौरान नीलामी किए गए सभी 95 खदानों से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। इसके अलावा, स्टोन क्रशरों के लाइसेंसों की प्रदानगी/नवीनिकरण और ईंट भट्ठों के लिए मिट्टी के उत्खनन के लिए परमिट से संबंधित अभिलेख की भी जांच की गई। इसके अतिरिक्त, यमुनानगर जिले में चयनित रेत और बोल्डर/बजरी खदानों का भू-स्थानिक सर्वेक्षण भी विशेषज्ञ एजेंसी (कल्पना चावला चेयर भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़) की मदद से किया गया था।

29 नवंबर 2017 को सरकार के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड और क्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गई। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जुलाई 2018 में सरकार के साथ साझा की गई थी। 6 नवंबर 2018 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई। सरकार/विभाग के उत्तर/विचारों पर विधिवत् विचार किया गया और इस निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उपयुक्त रूप से शामिल किए गए।

6.3.7 लेखापरीक्षा मानदंड

विभाग का प्रदर्शन लेखापरीक्षा मानदंड के निम्नलिखित स्रोतों के विरूद्ध मापा गया:

- खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 और संशोधन अधिनियम, 2015;
- पंजाब गौण खनिज रियायत नियमावली, 1964;
- हरियाणा ब्रिकज आपूर्ति आदेश नियंत्रण, 1972;
- हरियाणा क्रशर का नियमन एवं नियंत्रण अधिनियम, 1991 और उसके अधीन बनाए गए नियम,1992;
- हरियाणा गौण खनिज रियायत, स्टोकिंग, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012; तथा
- खदान एवं खनिज विकास, पुनरूत्थान एवं पुनरूद्धार निधि, 2015 (10 जुलाई 2015 को अधिसूचित)।

6.3.8 खनन संविदाओं एवं पट्टों का प्रबंधन

हरियाणा गौण खनिज रियायत, स्टोकिंग, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियमावली, 2012 (नियम, 2012) में खनिज रियायतों की विभिन्न रूपों की प्रदानगी, भंडारण और खनिजों के परिवहन और अवैध खनन के रोकथाम के नियमन, शामिल हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 10 खदान कार्यालयों में 95 संविदाएं प्रदान की गई और सभी 95 संविदाओं की लेखापरीक्षा में जांच की गई। 95 संविदाओं में से 16 संविदाएं रद्द कर दी गई। रद्द संविदाओं में से मार्च 2018 तक किसी का भी विभाग द्वारा दुबारा टेंडर नहीं निकाला गया। दिसंबर 2013 और मार्च 2017 के मध्य राज्य सरकार द्वारा नीलामी किए

[4] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

गए खनन संविदाओं और पट्टों के अभिलेखों की उपर्युक्त नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में जांच की गई। निम्नलिखित अनियमितताएं/कमियां देखी गई:

6.3.8.1 संविदा का रद्द किया जाना

नियमावली, 2012 के नियम 50 में प्रावधान है कि खनिज निकालने का अधिकार, प्रतियोगी बोलियां/खुली नीलामियां आमंत्रित करने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन-पत्र पर प्रदान किया जाए। सरकार, खनिज संरक्षण एवं वैज्ञानिक खनन के हित में आम जनता के माध्यम से रूचि प्रदर्शित करने को आमंत्रित करके कुछ उद्देशीय निर्धारण मानदंड पर आधारित संभावित नीलामीकर्ताओं को पूर्वत: योग्य ठहरा सकती है और पूर्वत: योग्य नीलामीकर्ताओं के मध्य नीलामियों को सीमित कर सकती है।

तथापि, विभाग ने पूर्वत: योग्य नीलामीकर्ताओं के मध्य नीलामियों को सीमित करने के लिए वित्तीय पर्याप्तता के आधार पर संभावित नीलामीकर्ता को पहले ही योग्य ठहराने की प्रणाली को नहीं अपनाया। परिणामत: संविदाएं/पट्टे असमान्य रूप से उच्च राशि पर प्रदान किए गए जो आर्थिक तौर पर अलाभकारी और अस्थिर थे। परिणामस्वरूप, कई संविदाएं मासिक संविदा राशि के भुगतान में ठेकेदारों द्वारा चूक के कारण रद्द करनी पड़ी।

विभाग ने 31 मार्च 2017 तक 10 जिलों में 95 खदानों की नीलामी की, जिनमें से 16 संविदाओं (17 प्रतिशत) को रद्द कर दिया गया। 11 मामलों में बोली आरक्षित मूल्य के 100 प्रतिशत से अधिक थी। इनमें से 5 मामलों (45 प्रतिशत) में संविदाओं को ठेकेदार द्वारा संविदा राशि के अभुगतान/कम भुगतान के कारण रद्द किया जाना था। रद्द की गई संविदाओं के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका संख्या 3: रद्द की गई संविदाओं के विवरण

क्र. सं.	जिला	एल.ओआई. की तिथि संविदा की तिथि	रद्द करने की देय तिथि रद्द करने की तिथि	रद्द करने में विलंब (दिनों में)	खनन संविदा/पट्टा के ब्लॉक का नाम	आरक्षित मूल्य (₹ करोड़ में)	बोली राशि (₹ करोड़ में)	आरक्षित मूल्य पर बोली राशि में वृद्धि की प्रतिशतता	रद्द करने हेतु कारण
1.	भिवानी	03-01-2014 19-02-2015	04-03-2015 04-11-2016	611	कलाली तथा कल्याणा	19.05	32.45	70.34	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
2.	फरीदाबाद	03-01-2014 22-09-2014	31-05-2016 10-06-2016	10	पलवल सैंड यूनिट-1	1.50	27.56	1,737.33	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
3.		03-01-2014 22-09-2014	31-05-2016 15-05-2017	349	पलवल सैंड यूनिट-2	1.80	29.50	1,538.89	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
4.		03-01-2014 19-12-2014	01-03-2015 25-08-2017	908	फरीदाबाद सैंड यूनिट-1	2.56	62.50	2,341.41	खनन क्षेत्र में विवाद
5.	कुरूक्षेत्र	03-01-2014 07-11-2014	04-03-2015 12-06-2017	831	कुरूक्षेत्र यूनिट-1	4.50	13.01	189.11	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान

क्र. सं.	जिला	एल.ओआई. की तिथि संविदा की तिथि	रद्द करने की देय तिथि रद्द करने की तिथि	रद्द करने में विलंब (दिनों में)	खनन संविदा/पट्टा के ब्लॉक का नाम	आरक्षित मूल्य	बोली राशि	आरक्षित मूल्य पर बोली राशि में वृद्धि की प्रतिशतता	रद्द करने हेतु कारण
						(₹ करोड़ में)			
6.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	02-09-2015 10-06-2016	30-09-2016 25-05-2017	237	करोता	11.20	11.205	0.04	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
7.		03-01-2014 22-09-2014	02-07-2016 30-08-2016	59	महेन्द्रगढ़ यूनिट-3	1.16	11.51	892.24	बालू के जमाव की कमी
8.	पंचकूला	03-03-2016 निष्पादित नहीं किया गया	01-06-2016 02-06-2017	366	मंडलाई ब्लॉक-2	3.23	5.085	57.43	संविदा का अनिष्पादन तथा शेष प्रतिभूति जमा न करवाना
9.	पानीपत	03-01-2014 09-09-2016	30-11-2015 02-06-2017	550	करनाल यूनिट-1	6.62	60.05	807.10	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
10.		03-01-2014 01-10-2015	30-11-2015 28-12-2015	28	करनाल यूनिट-3	4.66	70.01	1,402.36	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
11.		03-01-2014 निष्पादित नहीं किया गया	03-04-2014 12-09-2014	162	पानीपत यूनिट-1	4.76	40.05	741.39	खनन संविदा का समर्पण
12.	सोनीपत	03-01-2014 निष्पादित नहीं किया गया	03-04-2014 21-03-2014	कोई विलंब नहीं	सोनीपत यूनिट-1	5.78	71.00	1,128.37	खनन क्षेत्र में विवाद
13.		03-01-2014 निष्पादित नहीं किया गया	03-04-2014 12-09-2014	162	सोनीपत यूनिट-2	15.12	120.13	694.51	खनन क्षेत्र में विवाद
14.		03-01-2014 निष्पादित नहीं किया गया	03-04-2014 11-08-2017	1226	सोनीपत यूनिट-3	13.10	51.04	289.62	खनन क्षेत्र में विवाद
15.		02-01-2015 07-07-2015	02-04-2015 27-06-2016	452	तिकोला सैंड यूनिट-1	9.04	9.07	0.33	खनन क्षेत्र में विवाद
16.		02-01-2015 20-08-2015	02-03-2016 02-07-2017	487	नांदनौर सैंड यूनिट	11.16	11.22	0.54	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान

इन संविदाओं का पुन:टेंडर नहीं निकाला गया। आरक्षित मूल्य के आधार पर मार्च 2018 तक ₹ 192.64 करोड़ का राजस्व की सीमा को परिकलित किया गया।

सफल बोलीदाता द्वारा विभाग को समान मासिक किश्तों में वार्षिक संविदा राशि जमा करना अपेक्षित है। संविदा राशि की पहली किश्त खनन परिचालन के शुरू करने से पहले या एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीने की अवधि व्यतीत होने से पहले, जो भी पहले हो, जमा की जानी चाहिए। एल.ओ.आई. के पैरा 5 (iv) के अनुसार मासिक संविदा राशि के भुगतान में 60 दिनों से अधिक की देरी की उल्लंघना मानी जाएगी और संविदा रद्द करने की कार्रवाई आमंत्रित करेगी।

रद्द की गई संविदाओं के 12 मामलों में ठेकेदारों ने मासिक किश्त के भुगतान के लिए 60 दिनों की निर्धारित अवधि से परे 2 से 32 महीनों के मध्य भुगतान किया। 90 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद 3 से 29 महीने के विलंब वाले मामलों में भी संविदाएं निष्पादित की गई थीं।

पांच मामलों में (क्रम संख्या 8, 11, 12, 13 और 14) कोई संविदा निष्पादित नहीं किए गए। यह संविदाएं एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 3 और 43 महीनों के मध्य रद्द की गई।

एग्जिट क्रांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि आनलाईन खुली नीलामी प्रक्रिया में विभाग का बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित उच्चतम बोली राशि पर कोई नियंत्रण नहीं था। बोलीदाताओं ने बाद में महसूस किया कि संविदा वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं था क्योंकि खनिजों का उत्पादन बाजार मांगों के द्वारा नियंत्रित था। आगे यह बताया गया कि केवल पूर्व-योग्य बोलीदाताओं के बीच नीलामी पर प्रतिबंध से प्रतिस्पर्धा कम होगी और सरकार छोटे ठेकेदारों को भी प्रोत्साहित करना चाहती थी। विभाग इस स्थिति से अवगत था और ऐसे मामलों का भविष्य में परिहार करना विभाग के क्रियाशील रूप से विचाराधीन था।

6.3.8.2 अनुबंधों का विलंबित निष्पादन/निष्पादन न करना

एल.ओ.आई. के पैरा 3 में प्रावधान है कि ठेकेदार/पट्टाधारक एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर, एक अनुबंध निष्पादित करेगा। आगे, ऐसा करने में विफल होने पर, (i) एल.ओ.आई. को रद्द माना जाएगा; (ii) प्रारंभिक बोली प्रतिभूति की 10 प्रतिशत की राशि जब्त कर ली जाएगी; (iii) 15 प्रतिशत शेष बोली जमानत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी; और (iv) चूककर्ता पांच वर्षों की अवधि के लिए भविष्य की किसी भी खनन नीलामी में भाग लेने से बाहर कर दिया जाएगा।

10 खनन अधिकारियों (एम.ओ.)[5] के कार्यालयों में जनवरी 2014 और अक्तूबर 2016 के मध्य 95 ठेकेदारों को एल.ओ.आई. जारी किए गए और उनके द्वारा अप्रैल 2014 और जनवरी 2017 के भीतर अनुबंध निष्पादित करना अपेक्षित था। तथापि, 77 ठेकेदारों ने 90 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अनुबंद निष्पादित किए। विलंब की सीमा पांच और

[5] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

891 दिनों की मध्य थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 4: अनुबंधों के निष्पादन में विलंब की सीमा

क्र. सं.	विलंब की सीमा (दिनों में)	मामलों की संख्या
1	90 दिनों तक	8
2	91 और 180 दिनों के मध्य	27
3	181 और 270 दिनों के मध्य	21
4	271 और 365 दिनों के मध्य	13
5	365 दिनों से अधिक	8
	कुल	77

विभाग ने वर्तमान नियमों के अनुसार बोली की जमानत राशि जब्त/वसूल नहीं की थी। नौ अनुबंधों में, अनुबंधों को समय पर निष्पादित किया गया था। आगे, पंचकूला (चार), पानीपत (दो) और यमुनानगर (तीन), तीन एम.ओ. के कार्यालयों में नौ ठेकेदारों ने 31 मार्च 2018 तक संविदा निष्पादित नहीं किए थे जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 5: 31 मार्च 2018 तक निष्पादित न किए गए अनुबंधों के विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक और ठेकेदार/पट्टाधारक का नाम	एल.ओ.आई. की तिथि	संविदा के निष्पादन की देय तिथि	विलंब (दिनों में)
पंचकूला				
1.	गोबिंदपुर ब्लॉक/पंचकूला बी 18	09-06-2015	06-09-2015	937
2.	नारायणपुर ब्लॉक/पंचकूला बी 19	09-06-2015	06-09-2015	937
3.	मंडलाई 2 ब्लॉक/पंचकूला बी 22	03-03-2016	31-05-2016	669
4.	मनक टाबरा ब्लॉक/पंचकूला बी 20	06-10-2016	03-01-2017	452
पानीपत				
5.	करनाल यूनिट 2	03-01-2014	02-04-2014	1459
6.	पानीपत यूनिट 1	03-01-2014	02-04-2014	1459
यमुनानगर				
7.	चूहढ़पुर ब्लॉक/यमुनानगर बी 26 तथा 27	03-03-2016	03-06-2016	639
8.	इस्माइलपुर ब्लॉक/यमुनानगर बी 32	03-03-2016	03-06-2016	639
9.	हल्दारी गुज्जर ब्लॉक/यमुनानगर बी 35	03-03-2016	03-06-2016	639

पंचकूला (क्र.सं. 1) में एक संविदा में खनन कार्य शुरू किया गया। पंचकूला (क्र.सं. 3) में एक संविदा के निष्पादित न किए जाने और शेष प्रतिभूति के जमा न करवाने के कारण रद्द किया गया और पानीपत (क्र.सं. 6) में एक संविदा खनन ठेका के अभ्यर्पण करने के कारण रद्द कर दिया गया था।

तथापि, शेष छः संविदाओं में खनन कार्य शुरू नहीं हुआ और विभाग ने इन संविदाओं को रद्द नहीं किया (मार्च 2018)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि संविदा के निष्पादन के लिए 90 दिनों की अवधि अपर्याप्त थी क्योंकि विभाग को समर्थक दस्तावेजों/श्योरिटीज की संपत्ति के विवरणों का सत्यापन/प्रमाणन करना था। इससे आगे कहा गया कि चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अतिरिक्त स्पष्टीकरण/दस्तावेज मांगने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। अतिरिक्त स्पष्टीकरण/दस्तावेज, यदि आवश्यकता हो, मांगने के बाद चार्टर्ड एकाऊंटेंट द्वारा सत्यापित किया गया। अत: प्रक्रिया में 90 दिनों से अधिक लगे। यदि उस अनुबंध का निष्पादन करने के लिए 90 दिनों की अवधि अपर्याप्त लगती है तो विभाग को नियमावली की समीक्षा करनी चाहिए। विभाग ने स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए नियम की समीक्षा की जाएगी।

77 मामलों में अनुबंधों के निष्पादन में देरी हुई। छ: मामलों में संविदा की प्रदानगी के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अनुबंधों को निष्पादित नहीं किया गया। विभाग ने इन संविदाओं को निरस्त नहीं किया है और खदानों के परिचालनात्मक न होने से राजस्व की हानि हो रही है।

6.3.8.3 शेष बोली जमानत का विलंबित/न जमा किया जाना

एल.ओ.आई. के पैरा 3 और संविदा के भाग 3 के पैरा 2 में प्रावधान है कि ठेकेदार/पट्टाधारक वार्षिक संविदा राशि/डेड रेंट का 25 प्रतिशत के बराबर जमानत जमा करवाएगा, जिसमें से 10 प्रतिशत प्रारंभिक बोली जमानत प्रारंभ होने पर और शेष 15 प्रतिशत बोली जमानत खनन परिचालन के प्रारंभ होने से पहले या एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीनों की अवधि व्यतीत होने से पहले, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी। ऐसा न करने की स्थिति में (i) एल.ओ.आई. को रद्द किया माना जाता है; (ii) 10 प्रतिशत प्रारंभिक बोली जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी; (iii) शेष 15 प्रतिशत बोली जमानत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी; और (iv) चूककर्ता को भविष्य में किसी भी की खनन नीलामी में भाग लेने से पांच वर्षों की अवधि के लिए वर्जित कर दिया जाएगा।

(i) शेष बोली जमानत का देरी से जमा करना

विभाग ने 31 मार्च 2017 तक 10 जिलों में 95 खदानों की नीलामी की। नौ एम.ओ.[6] के कार्यालयों में 84 में से 59 ठेकेदारों द्वारा 15 प्रतिशत जमानत जमा करने में विलंब था। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान शेष 11 ठेकेदारों से 15 प्रतिशत प्रतिभूति देय नहीं थी क्योंकि उन्होंने 31 मार्च 2017 तक एल.ओ.आई. जारी करने की तारीख से 12 महीने की अवधि पूरी नहीं की थी। इन 59 संविदाओं की कुल जमानत राशि ₹ 880.13 करोड़ थी जिसके लिए जनवरी 2014 और अक्तूबर 2016 के मध्य एल.ओ.आई. जारी किए गए थे। इन ठेकेदारों द्वारा जनवरी 2015 और अक्तूबर 2017 के मध्य ₹ 132.02 करोड़ राशि

[6] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, सोनीपत तथा यमुनानगर।

15 प्रतिशत जमानत के रूप में जमा करना अपेक्षित था। तथापि, ठेकेदारों ने राशि 3 और 854 दिनों की सीमा में विलंब से जमा करवाई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 6: शेष बोली जमानत के जमा करने में विलंब की सीमा

क्र.सं.	विलंब की सीमा (दिनों में)	मामलों की संख्या
1.	90 दिनों तक	33
2.	91 और 180 दिनों के मध्य	9
3.	181 और 270 दिनों के मध्य	7
4.	271 और 365 दिनों के मध्य	4
5.	365 दिनों से अधिक	6
कुल		**59**

खनन परिचालन 54 संविदाओं में प्रारंभ किए गए तथा पांच संविदाओं में प्रारंभ नहीं किए गए। 54 अनुबंधों में से, जहां खनन कार्य शुरू हुआ है, 12 अनुबंधों में जमानत धन जमा करने से पहले खनन कार्य शुरू हुआ।

खनन कार्यों को शुरू करने से पहले शेष जमानत राशि को जमा करना विभाग के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विभाग इस आवश्यकता को लागू करने में विफल रहा जो निगरानी की कमी को इंगित करता है।

(ii) शेष बोली जमानत का कम/न जमा कराया जाना

छः एम.ओ.[7] (जनवरी और मई 2018 के मध्य) के कार्यालयों में जनवरी 2014 और जुलाई 2016 के मध्य ₹ 196.86 करोड़ के 11 संविदाएं प्रदान की गई। उनके द्वारा 15 प्रतिशत जमानत जमा के रूप में ₹ 29.53 करोड़ की राशि जनवरी 2015 और जुलाई 2017 के मध्य जमा करवानी अपेक्षित थी। तथापि, 10 ठेकेदारों ने ₹ 27.05 करोड़ की राशि जमा नहीं करवाई। एक ठेकेदार ने ₹ 2.48 करोड़ में से आंशिक तौर पर ₹ 0.25 करोड़ जमा करवाए जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 तक ₹ 29.28 करोड़ कम जमा/जमा नहीं किए गए। उपर्युक्त 11 संविदाओं में से, आठ संविदाओं में खनन परिचालन नहीं किए गए और शेष तीन संविदाएं संविदा राशि के भुगतान न करने/कम भुगतान और संविदा के निष्पादित न होने ओर शेष जमानत के जमा न होने के कारण रद्द कर दिए गए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि कुछ मामलों में शेष 15 प्रतिशत जमानत के विलंबित जमा होने/जमा न होने के कारण पर्यावरण क्लीयरेंस की अप्रदानगी, खनन परिचालन का प्रारंभ न होना, संविदाओं का रद्द/निरस्त होना, इत्यादि था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि संविदा के अनुसार शेष जमानत राशि शेष 15 प्रतिशत बोली जमानत खनन परिचालन के प्रारंभ होने से पहले या एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीनों की अवधि व्यतीत होने से पहले, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी। इस प्रकार, पर्यावरण क्लीयरेंस की अनुमति की ऐसे मामलों में कोई प्रासंगिकता नहीं थी। अन्य मामलों में, अनुबंधों को 12 महीने की अवधि के बाद समाप्त/रद्द किया गया था, इससे पहले कि ठेकेदारों से शेष प्रतिभूति की राशि वसूल की जानी चाहिए थी।

[7] फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

6.3.9 खनन संविदाओं और पट्टा से प्राप्तियां

6.3.9.1 संविदा राशि और उस पर ब्याज का कम/न जमा होना

एल.ओ.आई. के पैरा 3 में प्रावधान है कि संविदा/पट्टा खनन परिचालन के प्रारंभ होने से पहले या एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीनों की अवधि व्यतीत होने से पहले, जो भी पहले हो, प्रारंभ होता है। ठेकेदार संविदा राशि/डेड रेंट या निकाले गए और प्रेषित खनिज पर रॉयल्टी की राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी है, जैसे ही संविदा प्रभावी हो जाए। आगे, संविदा/पट्टा संविदा के पैरा-5/पैरा-7 के भाग-3 में प्रावधान है कि अग्रिम मासिक किश्त का कम/न जमा होना 15 प्रतिशत (30 दिनों तक) और 18 प्रतिशत (31 से 60 दिनों तक) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज आकर्षित करेगा। 60 दिनों से ज्यादा के विलंब से विच्छेद और संविदा/पट्टा के रद्द करने की कार्रवाई आमंत्रित करेगा, साथ ही चूक की संपूर्ण अवधि के लिए 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ पूरी बकाया राशि की वसूली भी होगी।

विभाग ने 31 मार्च 2017 तक 10 जिलों में 95 खदानों की नीलामी की। तथापि, नौ एम.ओ.[8] के कार्यालयों में यह अवलोकित किया गया कि 84[9] में से 69 ठेकेदारों द्वारा (संविदाएं = 53; और पट्टा = 16) द्वारा जनवरी 2015 और मार्च 2017 के मध्य ₹ 1,413.29 करोड़ (संविदा राशि: ₹ 880.19 करोड़; डेड रेंट: ₹ 532.77 करोड़; और रॉयल्टी: ₹ 0.33 करोड़) के संविदा राशि की अग्रिम मासिक किश्तें जमा करवाना अपेक्षित था। ठेकेदारों ने ₹ 605.08 करोड़ जमा करवाए, परिणामत: ₹ 808.21 करोड़ (कम जमा = ₹ 33.57 करोड़; और जमा नहीं = ₹ 774.64 करोड़) की अग्रिम मासिक किश्तें कम जमा हुई या जमा नहीं हुई। आगे, यह अवलोकित किया गया कि संविदा राशि जमा करवाने में 63 और 1,184 दिनों की सीमा में विलंब था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 7: संविदा राशि जमा करने में विलंब की सीमा

क्र.सं.	विलंब की सीमा (दिनों में)	मामलों की संख्या
1.	90 दिनों तक	3
2.	91 और 180 दिनों के मध्य	4
3.	181 और 270 दिनों के मध्य	1
4.	271 और 365 दिनों के मध्य	1
5.	365 दिनों से अधिक	60
कुल		**69**

[8] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

[9] लेखापरीक्षा अवधि (31 मार्च 2017 तक) के दौरान शेष 11 अनुबंधों में खनन कार्य शुरू नहीं हुआ।

उपर्युक्त ठेकेदारों द्वारा संविदा राशि के विलंब से जमा किए जाने/जमा न किए जाने के कारण मार्च 2018 तक ₹ 347.63 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

आगे, यह अवलोकित किया गया कि उपर्युक्त सभी 69 ठेकेदारों ने किसी न किसी स्तर पर 60 दिनों के भीतर संविदा राशि की मासिक अग्रिम किश्तें जमा नहीं करवाई, जिसमें संविदा/पट्टा संविदा रद्द करना बनता है। विभाग ने, तथापि, इन संविदा/पट्टा अनुबंधों को निरस्त करने के लिए कार्रवाई नहीं की।

दिसंबर 2017 और मई 2018 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, एम.ओ., अंबाला और यमुनानगर ने मई 2018 में सूचित किया कि ₹ 9.54 करोड़ (अंबाला ₹ 6.00 करोड़ और यमुनानगर = ₹ 3.54 करोड़) की वसूली कर ली गई ओर शेष राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने इस टिप्पणी को स्वीकार किया परंतु बताया कि रियायतधारकों ने पर्यावरण क्लीयरेंस की आवश्यकता में संविदा की प्रारंभ न की गई अवधि के लिए सरकारी देयों की वसूली के विरूद्ध अपैक्स न्यायालय में विशेष लीव याचिका (एस.एल.पी.) दायर कर दी। उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि प्रारंभ न की गई अवधि के लिए देयों की वसूली के विरूद्ध कोई स्टे नहीं था। फिर भी विभाग, प्रारंभ न की गई अवधि के सरकारी देयों की वसूली नहीं कर रहा था।

विभाग, संविदा राशि/डेड रेंट/रॉयल्टी के विलंबित निक्षेप पर ₹ 347.63 करोड़ का ब्याज वसूल करने में विफल रहा। आगे, ₹ 808.21 करोड़ की राशि के संविदा राशि की मासिक किस्तें कम जमा हुई थी।

6.3.9.2 खदान एवं खनिज विकास, पुनरूत्थान एवं पुनर्वास निधि का प्रबंधन

नियम, 2012 के नियम 56 (5) में यह प्रावधान है कि ठेकेदार खदान एवं खनिज विकास, पुनरूत्थान एवं पुनर्वास निधि (निधि) के लिए देय डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा। हरियाणा सरकार ने 10 जुलाई 2015 को निधि की स्थापना के लिए विस्तृत निर्देश दिए। खनन क्षेत्रों के पर्यावरणीय रूप से सतत विकास, खनन स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनरूद्धार के लिए आवश्यक मानी जाने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं की दृष्टि से और पारिस्थिति की सुरक्षा एवं संरक्षण एवं क्षेत्र के पर्यावरण के सर्वांगीण हित में अन्य संबंधित कार्यों का संचालन करने के लिए निधि की स्थापना की जाती है।

निधि के माध्यम से प्राप्त किए जाने के लिए वांछित उद्देश्य हैं:

- खनन परिचालनों द्वारा प्रभावित स्थलों में पुनरूत्थान, पुनस्थापन एवं पुनरूद्धार निर्माण कार्य के लिए वित्तपोषण;
- क्षेत्र तथा आसपास के समुदाय के लाभ के लिए सामान्य सुविधाओं का प्रावधान; जहां खनन गतिविधियां की जाती हैं;

- खनन परिचालनों और सड़कों, स्टोन क्रशर एस्टेट जल आपूर्ति इत्यादि जैसी संबद्ध गतिविधियों के समुचित विकास के लिए मूलभूत संरचना सुविधाओं के विकास, आदि;
- चालू की गई स्टडी या खनन सेक्टर से संबंधित गतिविधियां जैसे खनिजों का सर्वेक्षण, खोजबीन और संभाव्यता, ऐसी गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए अपेक्षित उपकरण एवं मशीनरी की खरीद;
- फील्ड यात्राओं के माध्यम से ठेकेदारों एवं विभाग के स्टॉफ की शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण और सर्वोत्तम खनन प्रचलनों का सामना;
- प्रोत्साहन की किसी भी स्कीम के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय की फंडिंग जो सरकार पर्यावरण सुरक्षा के साथ खनिज संरक्षण, पुनरूत्थान उपायों के लिए उच्चतम वरीयता के साथ हाथ में लिए गए वैज्ञानिक खनन के लिए पहचान और प्रदान करने के लिए तैयार करें; तथा
- अन्य कोई उद्देश्य, जिसे सरकार खनन क्षेत्र के समूचे हित के समर्थन के लिए फायदेमंद समझे।

निधि को अंशदान ठेकेदारों के साथ-साथ सरकार द्वारा भी दिए जाते हैं। प्रत्येक ठेकेदार को, प्रतिमास संविदा राशि/डेड रेंट/रॉयल्टी की मासिक किश्त के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना है। राज्य सरकार को एक वित्तीय वर्ष में ठेकेदारों से प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि अंशदान करनी है। 31 मार्च को एकत्र हुए जमा पर छः प्रतिशत की दर पर ब्याज सरकार द्वारा वर्ष के जून को समाप्त तिमाही तक निधि में क्रेडिट करना अपेक्षित है।

मासिक किश्तों के भुगतान के लिए सात दिनों की ग्रेस अवधि अनुमत है। मासिक किश्त जमा करने में देरी 15 प्रतिशत (30 दिनों तक) और 18 प्रतिशत (31 से 60 दिनों) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज आकर्षित करती है। 60 दिनों से अधिक राशि की उल्लंघना है और चूक की पूरी अवधि के लिए 21 प्रतिशत ब्याज के साथ संविदा/पट्टा की निरस्तगी के लिए कार्रवाई आकृष्ट करता है।

6.3.9.3 निधि में मासिक किश्त के विलंबित भुगतान/भुगतान न करना और उस पर ब्याज

निधि में मासिक किश्तें एम.ओ., हिसार में ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई थी। शेष नौ एम.ओ.[10] (सितंबर 2016 और मई 2018 के मध्य) में 48 संविदाओं में खनन परिचालन मई 2015[11] और मार्च 2017 के मध्य प्रारंभ हुए। इन ठेकेदारों द्वारा ₹ 97.72 करोड़ की मासिक किश्त जमा करवाना अपेक्षित था। तथापि, ठेकेदारों ने निधि में ₹ 48.42 करोड़ जमा करवाए परिणामतः ₹ 49.30 करोड़ (कम जमा = ₹ 1.21 करोड़ और जमा न हुए ₹ 48.09 करोड़) कम जमा हुए/जमा नहीं हुए। इसके अलावा, मार्च 2018 तक ₹ 17.44 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था। तथापि, विभाग ने न तो ठेकेदार द्वारा संविदा के प्रावधानों के अनुसार निधि में अंशदान सुनिश्चित किया और न ही विलंबित भुगतान/भुगतान न करने के लिए ब्याज उद्गृहीत किया।

---

10 अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

11 खनन कार्य मई 2015 में शुरू हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने सहमति दी कि विलंबित जमा पर ब्याज के साथ वार्षिक संविदा राशि/डेड रेंट/रॉयल्टी का 10 प्रतिशत अंशदान रियायतधारकों से वसूलनीय था। विभाग ने आगे बताया कि इस बारे में चूककर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही थी।

6.3.9.4 सरकार द्वारा निधि में कम अंशदान

नौ एम.ओ.[12] में 69 ठेकेदारों ने 2014-15 और 2016-17 वर्षों के मध्य (2014-15 = ₹ 28.05 करोड़; 2015-16 = ₹ 215.24 करोड़; और 2016-17 = ₹ 361.79 करोड़) संविदा राशि, डेड रेंट/रॉयल्टी के तौर पर ₹ 605.08 करोड़ जमा करवाए। अत: राज्य सरकार निधि में सरकार के हिस्से के रूप में 30.25 करोड (2014-15 = ₹ 1.40 करोड़, 2015-16 = ₹ 10.76 करोड; और 2016-17 = ₹ 18.09 करोड़) अंशदान के लिए दायी थी। तथापि, राज्य सरकार ने मार्च 2017 में केवल ₹ 12.55 करोड़ की राशि जमा करवाई परिणामस्वरूप निधि में ₹ 17.70 करोड़ (₹ 30.25 करोड़ - ₹ 12.55 करोड़) का कम अंशदान हुआ। 2015-16 में सरकार द्वारा निधि में कोई राशि जमा नहीं करवाई गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि निधि में सरकार के अंशदान के हस्तांतरण के लिए वित्त विभाग द्वारा अनिवार्य बजट प्रावधान किया जाना था। बजट के आबंटन में प्रक्रियागत विलंब के कारण सरकारी हिस्सा हस्तांतरित/जमा नहीं किया जा सका। विभाग ने आगे बताया कि ₹ 30.25 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध 31 मार्च 2017 तक ₹ 28.61 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी।

6.3.9.5 सरकार द्वारा निधि में ब्याज क्रेडिट न किया जाना

2015-16 और 2016-17 वर्षों के मध्य निधि में अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका संख्या 8: निधि में ब्याज क्रेडिट न किया जाना

वर्ष	निधि में प्राप्त अंशदान		31 मार्च को निधि में अंतिम शेष
	ठेकेदारों से	सरकार से	
			(₹ करोड़ में)
2015-16	14.90	0	14.90
2016-17	33.52	12.55	46.07
कुल	**48.42**	**12.55**	**60.97**

31 मार्च 2017 को जमा निधि पर सरकार द्वारा छ: प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 4.61 करोड़ (2015-16 = ₹ 0.89 करोड़; तथा 2016-17 = ₹ 3.72 करोड़) का ब्याज क्रेडिट करना अपेक्षित था। तथापि, सरकार ने निधि में उपर्युक्त ब्याज क्रेडिट नहीं किया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि ब्याज बजट प्रदानगी में विलंब के कारण क्रेडिट नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 31 मार्च 2017 को देय ₹ 4.61 करोड़ में से ₹ 3.15 करोड़ का ब्याज विभाग द्वारा मार्च 2018 में हस्तांतरित कर दिया गया।

[12] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

6.3.9.6 खनन परिचालनों के बाद पुनरूद्धार/पुनरूत्थान कार्य का निष्पादन न किया जाना

निधि के पैरा 5.2.1 में प्रावधान है कि किसी क्रियाशील खनन योजना के भाग के तौर पर किसी पुनरूत्थान और/या पुनरूद्धार कार्य के निष्पादन के मामले में, ठेकेदार निधि में से व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा बशर्ते कि यह प्रतिपूर्ति इसके द्वारा अंशदान की गई राशि तक सीमित हो। इस सीमा से ऊपर या बाहर किया गया कोई भी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

ठेकेदारों द्वारा क्षेत्र, स्कूल, निर्धनों का उपचार, सामाजिक कार्य, समीपस्थ स्कूल में पौधारोपण, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सामुदायिक केंद्र एवं अन्य उपयोगी स्थलों के विकास पर व्यय करना अपेक्षित था। विभाग द्वारा मार्च 2017 तक किसी क्रियाशील खनन समापन योजना के भाग के रूप में कोई पुनरूत्थान और/या पुनरूद्धार कार्य करने के एवज में उपर्युक्त कार्यों पर किसी व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि संग्रहित निधि में से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, सड़कों, स्कूलों का सुधार, स्टॉफ प्रशिक्षण इत्यादि के प्रस्ताव विचाराधीन थे और शीघ्र कार्यान्वित किए जाएंगे।

6.3.9.7 निधि के संग्रह में निवेश न किया जाना

नियमावली, 2012 के पैरा 77 (4) में प्रावधान है कि विभाग निधि में जमा की गई प्राप्तियों और उसमें से किए गए व्यय का पूरा हिसाब रखेगा और निधि में जमा प्रगतिशील संग्रह को इस तरह निवेश करेगा ताकि उससे सुरक्षित लाभ कमाया जा सके।

तथापि, विभाग ने उससे सुरक्षित लाभ कमाने हेतु प्रगतिशील जमा संग्रह को निवेश नहीं किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि सुरक्षित स्कीमों में आंशिक जमा के निवेश के लिए वित्त विभाग के साथ विचार-विमर्श चल रहा था।

6.3.9.8 निधि की मॉनीटरिंग का अभाव

निधि के पैरा 6, 7 और 8 में प्रावधान है कि यह सात सदस्यों, एक विशेष रूप से आमंत्रित और एक सदस्य सचिव के साथ प्रशासनिक सचिव (चेयरमेन) की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसमें आगे प्रावधान है कि समिति की बैठक किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम तीन बार होगी। समिति निधि की स्थिति की समीक्षा करेगी, फंडिंग के लिए योग्य पाए गई परियोजनों का अनुमोदन करेगी, अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रगति को मानीटर करेगी, भौतिक वितरण योग्य की लेखापरीक्षा ओर परिणाम के लिए यंत्रावली स्थापित करेगी और जहां अपेक्षित हों, उपयुक्त सुधारक उपाय करेगी।

समिति द्वारा निधि की स्थिति की समीक्षा इत्यादि के लिए जुलाई 2015 और मार्च 2017 के मध्य न्यूनतम पांच बैठक आयोजित करवानी अपेक्षित थी। तथापि, उस अवधि के दौरान इसने एक बार भी बैठक नहीं की। समिति द्वारा निधि की मॉनीटरिंग के अभाव के परिणामस्वरूप निधि प्रशासन में कई कमियां थी, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि वर्ष 2015-16 में शुरू किए गए निधि में अंशदान और चलाई जाने वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूर्णता के चरण पर था। विभाग

ने स्वीकार किया कि अभी तक कोई बैठक नहीं हुई परंतु निधि के प्रशासन में कोई अनियमितता/त्रुटि नहीं थी।

ठेकेदारों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा निधि में कम अंशदान था। फंड की स्थापना का उद्देश्य भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि ठेकेदार बहाली और/या पुनर्वास कार्य के लिए उपलब्ध शेष निधि का उपयोग करने में विफल रहे।

6.3.10 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) तैयार न करना

सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016 के अनुसार, प्रत्येक जिले में भू-विज्ञान विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, भूजल बोर्ड, रिमोट सेंसिंग विभाग विभाग और खनन विभाग की सहायता से जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

निदेशक, खान और भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा के कार्यालय में अभिलेखों (मई-जून 2019) की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 जिलों में से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) केवल पंचकुला और यमुनानगर जिलों के खनन अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए और विभाग को क्रमशः अप्रैल 2018 और अगस्त 2017 में प्रस्तुत किए गए थे। पंचकूला जिले के संबंध में, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) को डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा अंतिम रूप देने के लिए अप्रैल 2018 में पंचकूला के उपायुक्त को भेजा गया था, लेकिन उसकी मंजूरी के अभिलेख नहीं थे। शेष आठ जिलों के संबंध में संबंधित खनन अधिकारियों द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) तैयार नहीं किए गए थे।

विभाग ने किसी भी सर्वेक्षण के आधार पर खनिज रिजर्व का स्वतंत्र रूप से आकलन नहीं किया था। संबंधित खनन ब्लॉकों में ठेकेदार द्वारा तैयार ई.सी./खनन योजना में उल्लिखित डाटा को अपनाया गया था। अत: विभाग द्वारा उपलब्ध खनिज संसाधनों का स्वतंत्र निर्धारण नहीं किया गया।

तथापि, विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि खनिज रिजर्व का आकलन अब नए पहचाने गए क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है और सूचित किया कि राज्य के 15 जिलों में से चार जिलों अर्थात् पंचकुला, यमुनानगर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के संबंध में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है।

6.3.11 रेत, बोल्डर और बजरी खनन स्थलों के भू-स्थानिक अध्ययन की उपलब्धियां

खनन अधिकारी, यमुनानगर की उपस्थिति में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से एक विशेषज्ञ टीम के साथ लेखापरीक्षा ने तीन नदी-तल रेत खनन स्थलों (नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15, गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16 तथा गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17) और एक बोल्डर/बजरी को नदी के तल के खनन स्थल (मलिकपुर खादर ब्लॉक, यमुनानगर बी-28) के बाहर भू-स्थानिक क्षेत्र अध्ययन का संचालन (जून 2019) किया था। भू-स्थानिक अध्ययन आबंटित रेत खनन क्षेत्रों/परिचालनों के मानचित्रण/सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए, निकाले गए रेत की मात्रा का आकलन, अनधिकृत खनन गतिविधियों की पहचान और पर्यावरण अनापत्ति शर्तों का सत्यापन करने के लिए आयोजित किया गया था। निम्नलिखित पाया गया।

6.3.11.1 आबंटित रेत खनन क्षेत्र का मानचित्रण

खनन योजना में दिए गए निर्देशांक का उपयोग करके खनन ब्लॉक के लिए दिए गए कुल क्षेत्र का सीमांकन करते हुए रेड पोलीगॉन बनाया गया था और इस क्षेत्र को सत्यापित करने के लिए ठेकेदार द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर वास्तविक एरिया पोलीगॉन (पीला) का सीमांकन करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) रिसीवर का उपयोग किया गया था।

<table>
<tr><td>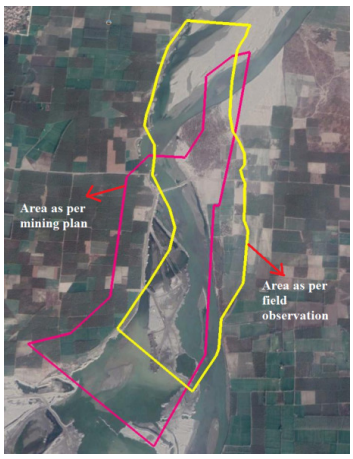
</td><td>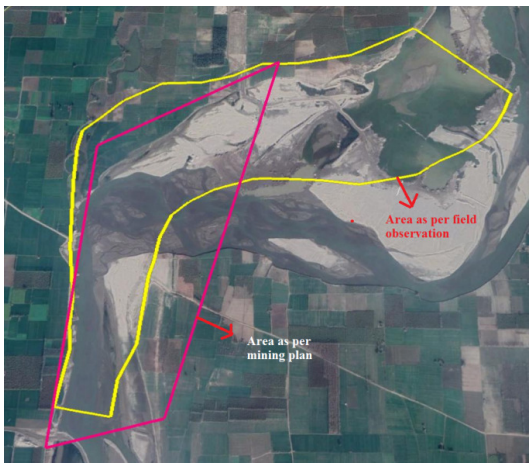
</td></tr>
<tr><td>नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15</td><td>गुमथला नार्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16</td></tr>
<tr><td>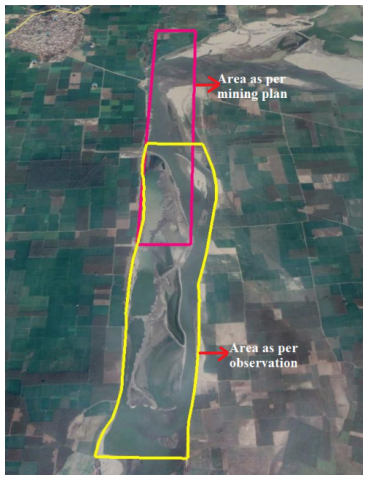
</td><td>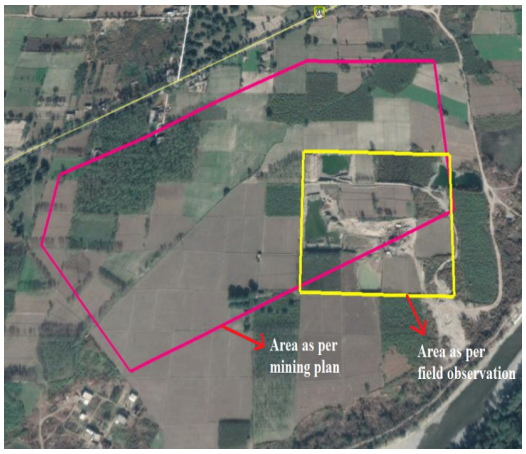
</td></tr>
<tr><td>गुमथला दक्षिण ब्लॉक यमुनानगर बी-17</td><td>मलिकपुरखादर ब्लॉक यमुनानगर बी-28</td></tr>
</table>

कार्यस्थल निरीक्षण के दौरान देखा गया कि खनन योजना में दिए गए क्षेत्र और कार्यस्थल क्षेत्र में अंतर है। खनन स्थलों को सीमा स्तंभों द्वारा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया गया है तथा खनन योजना में दिए गए निर्देशांक और वास्तविक निर्देशांक मेल नहीं खाते हैं।

गुमथला नॉर्थ ब्लॉक के मामले में इस भिन्नता का खनिज आरक्षित के आकलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, वार्षिक न्यूनतम रिज़र्व की अनुमानित मात्रा 20,34,672 मीट्रिक टन (एम.टी.) थी। तथापि, खनन योजना में दिए गए क्षेत्र के संदर्भ में वार्षिक खनन योग्य आरक्षित की गणना, क्षेत्र में देखे गए खनन ब्लॉक के आयाम का उपयोग करके और खनन योजना में दिए गए निर्देशांक द्वारा गणना किए गए क्षेत्र का उपयोग करके किया जाता है, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 9: गुमथला नॉर्थ ब्लॉक में वार्षिक खननीय रिज़र्व की गणना

क्र. सं.	क्षेत्र की गणना के लिए स्रोत	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	क्षेत्र वर्ग मीटर^2 वर्ग में	अनुमत गहराई (मीटर)	आयतन घन मीटर^3 में	मिट्टी का घनत्व	वजन एम.टी. में	वार्षिक खननीय रिज़र्व एम.टी. में
1	खनन योजना में दिया गया	44.62	4,46,200	3	13,38,600	2000	26,77,200	20,34,672
2	क्षेत्र में अवलोकित	98.079	9,80,790	3	29,42,370	2000	58,84,740	44,72,402
3	दिए गए निर्देशांक	62.20	6,22,000	3	18,66,000	2000	37,32,000	28,36,320

उपर्युक्त आंकड़ों से प्रकट हुआ कि क्षेत्र में वार्षिक अनुमानित न्यूनतम रिज़र्व का निष्कर्षण खनन योजना में दिए गए मूल अनुमानों से दोगुना था। 44.62 हेक्टेयर क्षेत्र के अनुसार, आरक्षित मूल्य ₹ 7.30 करोड़ निर्धारित किया गया था, जबकि 98.079 हेक्टेयर के लिए, आरक्षित मूल्य ₹ 16.04 करोड़ (यथा आनुपातिक आधार पर परिकलित किया गया) होना चाहिए था, जो अंततः अनुबंध प्रदानगी की राशि (₹ 7.42 करोड़) की तुलना में ₹ 8.63 करोड़ अधिक था।

यह नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग इस तरह की जांच अन्य ब्लॉकों/खनन स्थलों में कर सकता है।

गुमथला नॉर्थ ब्लॉक में अनुमोदित क्षेत्र से बड़े क्षेत्र में खनन गतिविधियां की गईं। विभाग द्वारा इसका पता लगाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान हुआ।

6.3.11.2 अनुमोदित खनन योजना के संदर्भ में खनन कार्यों का सत्यापन

(क) 1,000 मीटर के प्रत्येक ब्लॉक के बाद 50 मीटर चौड़ाई का एक बिना खनन वाला ब्लॉक होगा। उपर्युक्त स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, गूगल अर्थ टूल का उपयोग नदी तल क्षेत्र की फोटो खींचने के लिए किया गया था, जहाँ खनन कार्य किया जा रहा था।

नागली ब्लॉक यमुनानगर बी-15, गुमथला नॉर्थ ब्लॉक बी-16 और गुमथला साउथ ब्लॉक बी-17 के मामले में नदी तल के भीतर सक्रिय खनन क्षेत्र की लंबाई क्रमशः 1.85 कि.मी., 1.52 कि.मी. और 1.44 कि.मी. पाई गई, जैसा की नीचे दर्शाया गया है:

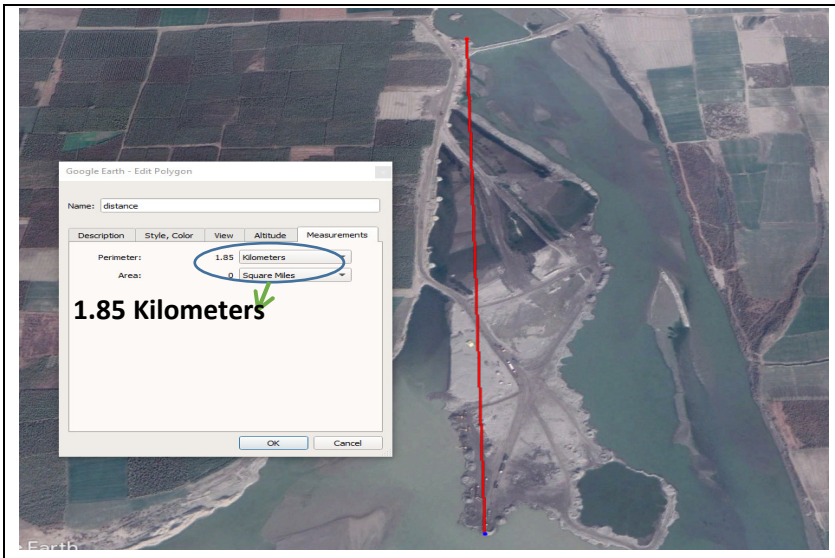	**बी-15**
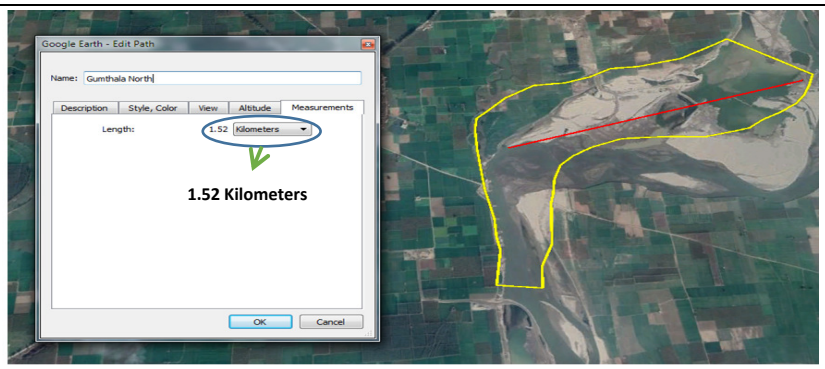	**बी-16**
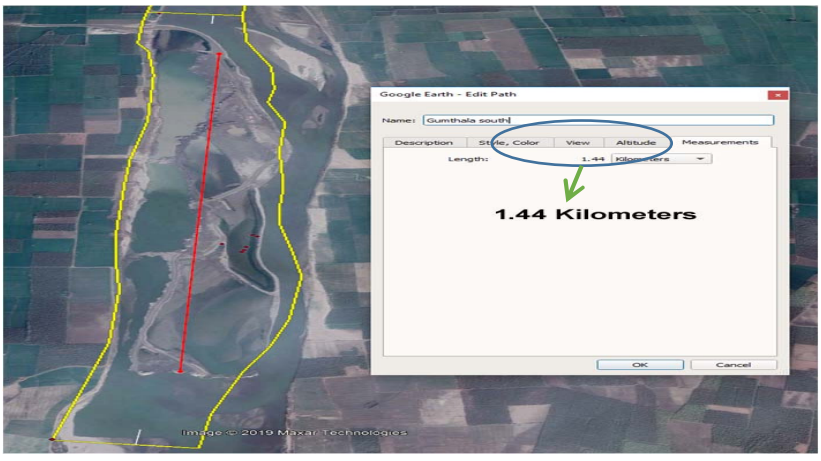	**बी-17**

सक्रिय खनन क्षेत्र की पहचान मेढ़ों/प्लेटफॉर्म और पॉइंट/सैंड बार के किनारों पर देखे गए निशानों के आधार पर की गई थी। सक्रिय खनन क्षेत्र और खनन मुक्त क्षेत्र के निशानों का विवरण नीचे दिया गया है:

संपूर्ण विस्तार में देखे गए निशान/पैटर्न
गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17

1,000 मीटर के प्रत्येक ब्लॉक के बाद 50 मीटर चौड़ाई का एक बिना खनन वाला ब्लॉक नहीं रखा गया था, क्योंकि सभी तीन खनन स्थलों में अधिक से अधिक विस्तार के लिए निरंतर खनन देखा गया था।

(ख) नदी-तल में खनन की अधिकतम गहराई उचित बेंच गठन के साथ किसी भी समय खनन मुक्त नदी-तल स्तर से तीन मीटर से अधिक नहीं होगी।

तीन नदी तल खनन के मामले में, सूखा तल खनन में कोई उल्लंघन नहीं पाया गया था। तथापि, धारा खनन के मामले में धारा खनन गहराई का उल्लंघन नहीं किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपकरण लगाया नहीं गया था।

मलिकपुर खादर ब्लॉक के मामले में, विशेषज्ञ टीम ने गहराई की गणना स्व-स्तरीय उपकरण की सहायता से की थी। परिणाम यह इंगित करते हैं कि खनन की अधिकतम गहराई 4.14 मीटर थी, जो निर्धारित सीमा से नौ मीटर कम थी।

विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि नदी-तल में खनन की गहराई तीन मीटर से अधिक न हो।

(ग) खनन गतिविधियाँ नदी/नाले के अंदरूनी चौड़ाई 3/4 हिस्से तक की जानी चाहिए। इस मानदंड का मूल्यांकन गूगल अर्थ चित्रों का उपयोग करके किया गया था। गुमथला नॉर्थ ब्लॉक और गुमथला साउथ ब्लॉक में, यह देखा गया कि खनन नदी के अंदरूनी 3/4 चौड़ाई हिस्से तक ही सीमित था, तथापि नागली ब्लॉक के मामले में यमुनानगर बी-15 गूगल अर्थ

चित्र वर्ष 2016 (खनन ब्लॉक प्रदान करने का वर्ष) तथा 2019 (खनन कार्य तीव्र गति पर) नीचे दर्शाए गए हैं:

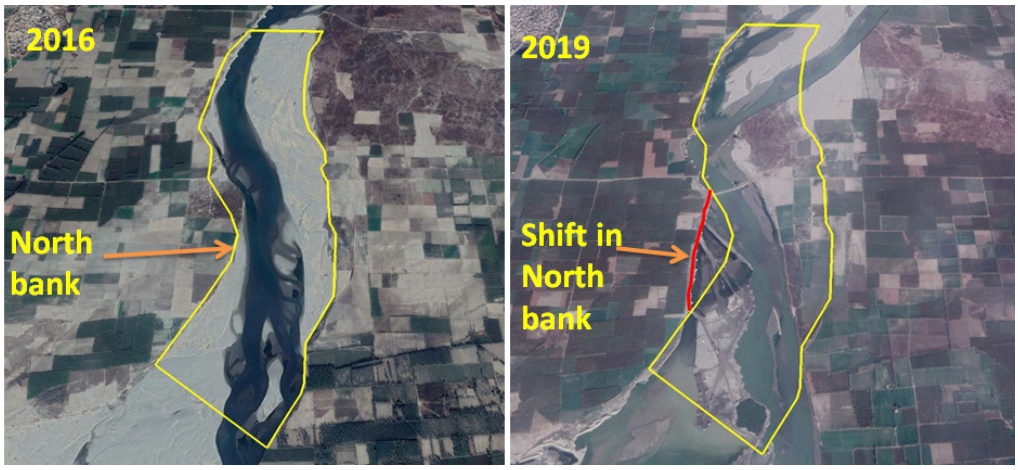

नदी तल के उत्तरी तट की ओर खिसकाव
नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15

दो चित्रों की तुलना ने उत्तरी तट की ओर नदी तल के खिसकाव का संकेत दिया। बड़े पैमाने पर नदी तट के पास खनन के कारण उत्तरी तट में खिसकाव हुआ था। क्षेत्र साक्ष्य भी तट के पास खनन इंगित करते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

नगली ब्लॉक में नदी के अंदरूनी 3/4 हिस्से तक खनन गतिविधियां सीमित नहीं थीं, जिससे उत्तरी तट पर बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा था।

6.3.11.3 नदी के प्रवाह का आकलन

खनन के कारण नदी के प्रवाह में हुए बदलावों का आकलन खनन स्थलों के सेंटिनल 2 उपग्रह टेम्पोरल चित्रों के आधार पर किया गया था।

(i) नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15: नदी के प्रवाह को बाधित करने के कारण पानी का फैलाव

मार्च 2016 के चित्र में दक्षिण तट की ओर रेत भित्तियों और प्वाइंट बार्स के विकास के साथ नदी का प्राकृतिक प्रवाह दिखाई दिया। अगस्त 2016 के चित्र में नदी का प्रवाह चरम पर (मानसून के बाद) है और नदी के समग्र क्षेत्र को आवृत्त करती है। जून 2018, मार्च 2019 और जून 2019 के चित्रों में खनन गतिविधियों को देखा गया। मार्च 2019 और जून 2019 के चित्रों ने नदी तल में अलग प्रवाह का स्पष्ट रूप से संकेत दिया। मार्च 2019 के चित्र में नदी पर पुल देखा गया। इससे नदी के ऊपरी भाग में जलाशय बन गया। पानी के

निशान, प्राकृतिक प्रवाह की बजाय पानी के फैलाव (झीलों से या उनसे संबंधित) के समान दिखाई दिए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

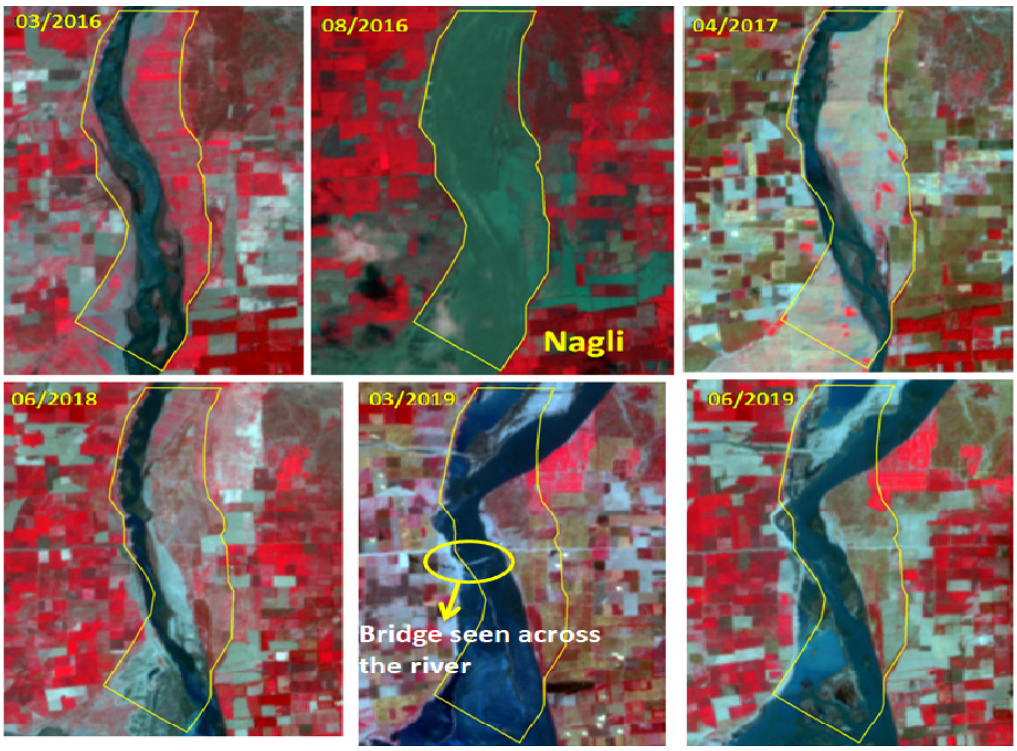

नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15 नदी के प्रवाह का चित्र

नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15 का सामान्य भौतिक अवलोकन

(ii) गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16: नदी के प्रवाह को बाधित करने के कारण प्रवाह का चौड़ीकरण तथा पानी का फैलाव

मार्च 2016 के चित्र में उत्तरी तट पर रेत भित्तियों और प्वाइंट बार्स के विकास के साथ नदी का प्राकृतिक प्रवाह दिखाई दिया। अगस्त 2016 के चित्र में नदी का प्रवाह चरम पर (मानसून के बाद) है और नदी के समग्र क्षेत्र को आवृत्त करती है। अप्रैल 2017, जून 2018, मार्च 2019 और जून 2019 के चित्रों में खनन गतिविधियों को देखा गया। अप्रैल 2017, जून 2018, मार्च 2019 और जून 2019 के चित्रों ने उत्तरी तट की ओर नदी तल में अलग प्रवाह का स्पष्ट रूप से संकेत दिया। पानी के निशान, प्राकृतिक प्रवाह की बजाय पानी के फैलाव के समान दिखाई दिए। नदी के प्रवाह को बाधित करने के कारण तथा/ या भूजल के संभावित आमेलन के कारण प्रवाह में स्पष्ट बदलाव हुआ।

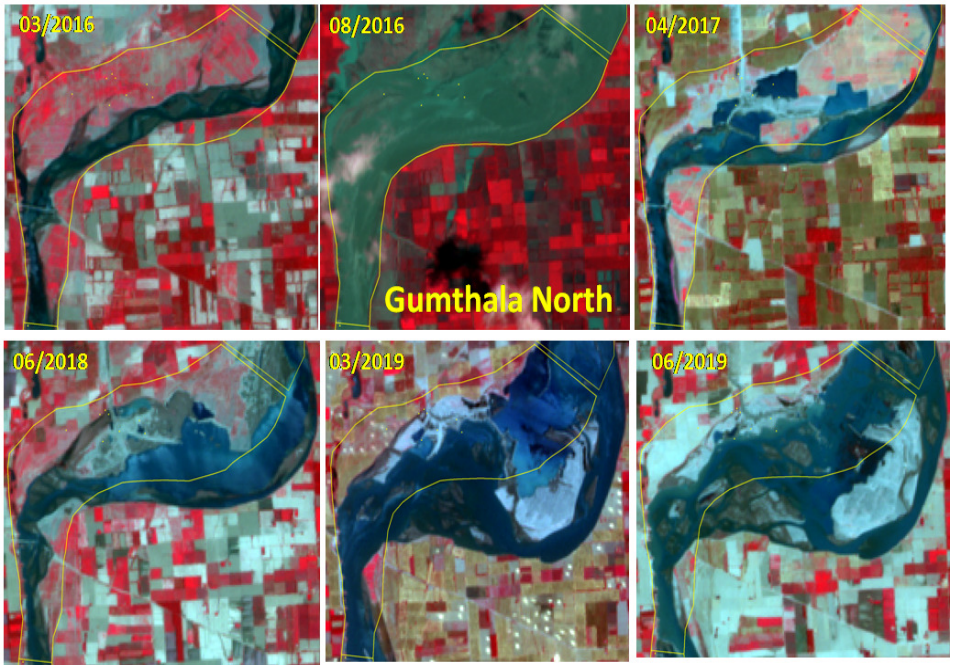

गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16 के प्रवाह का चित्र

नवंबर 2015 के चित्र में दक्षिणी तट की ओर सामान्य प्रवाह और उत्तरी तट पर रेत भित्तियों/प्वाइंट बार्स का बनना दिखाई दिया। फरवरी 2018 के चित्र ने दक्षिणी तट की ओर प्रवाह का विस्तार दिखाया। दिसंबर 2018 के चित्र ने नदी तल के पर्याप्त चौड़ीकरण के अतिरिक्त दक्षिणी तट की ओर प्राकृतिक प्रवाह का और अधिक फैलाव दिखाया। रेत खनिकों द्वारा नदी को बाधित करने के कारण 10 माह के भीतर बाढ़प्रवण क्षेत्र में वृद्धि हुईः

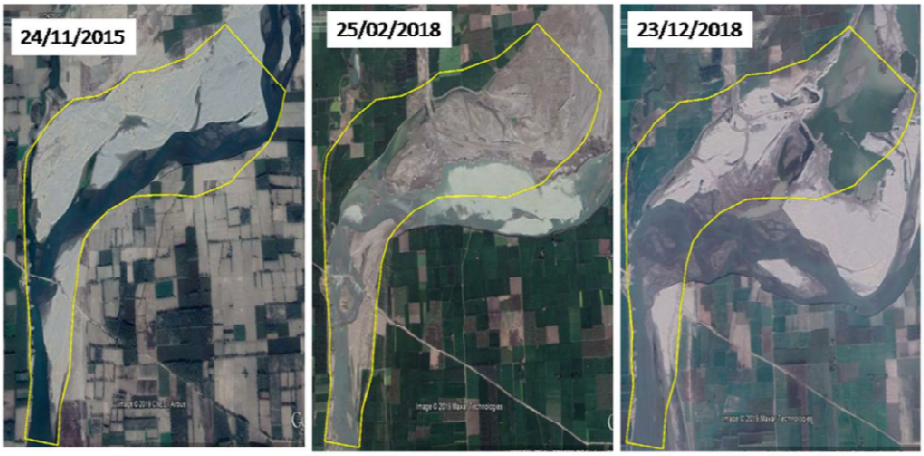

नदी प्रवाह में बदलाव
गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16

गुमथला नॉर्थ ब्लॉक में नदी को बाधित किया जाना

(iii) गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17: नदी के प्रवाह को बाधित करने के कारण प्रवाह का फैलाव

मार्च 2016 के चित्र में ब्रेडिंग पैटर्न, रेत भित्तियों और प्वाइंट बार्स के विकास के साथ नदी का प्राकृतिक प्रवाह दिखाई दिया। अगस्त 2016 के चित्र में मानसून वर्षा के लिए नदी का प्रवाह चरम पर है। जून 2018, मार्च 2019 और जून 2019 के चित्रों ने स्पष्ट रूप से अलग नदी प्रवाह का संकेत दिया जिसमें पानी के निशान, प्राकृतिक प्रवाह की बजाय पानी के फैलाव के समान दिखाई दिए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

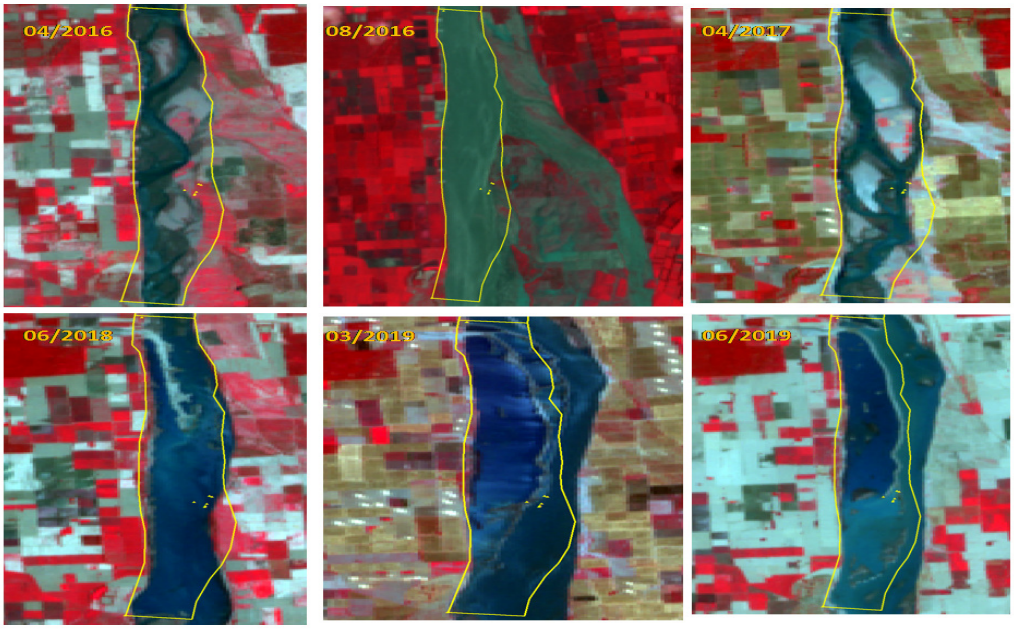

नदी प्रवाह के चित्र
गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17

उपर्युक्त ने नदी प्रवाह के बाधित होने तथा/या भूजल के संभावित आमेलन के स्पष्ट संकेत दिए। मेढ़ों/खनन प्लेटफार्मों के माध्यम से प्राकृतिक प्रवाह का अवरुद्ध होना भी चित्रों में देखा गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

नदी प्रवाह में बदलाव
गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17

तीन नदी तल खनन ब्लॉकों में लघु खनन अवधि के दौरान नदी के प्रवाह में बदलाव आया है, जो नदी के प्रवाह का बाधित होना तथा भूजल का संभावित आमेलन दर्शाता है।

6.3.11.4 अनधिकृत खनन गतिविधियों की पहचान

नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-1

क्षेत्र निरीक्षण के समय, लेखापरीक्षा टीम ने उत्तरी तट पर किसी प्रकार के अवैध खनन गतिविधि का कोई निशान नहीं देखा। अवैध खनन गतिविधि का पता लगाने के लिए गूगल अर्थ के वर्ष 2014, 2015 तथा 2018 के चित्रों की समय श्रृंखलाओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई। यह व्याख्या नदी तल क्षेत्र में ट्रकों/ट्रॉलियों की आवाजाही पर निशान पर नजर रखने के लिए, नदी तल क्षेत्र में रेत के ढेर, नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा, हल्के वजन के उत्खनन मशीनों की आवाजाही तथा खनन गड्ढों का पता लगाने के लिए की गई।

यद्यपि, नगली ब्लॉक में अप्रैल 2018 में खनन कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अवैध खनन का पता वर्ष 2014 और 2015 के चित्रों से पता चला था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अवैध खनन के समय श्रृंखला चित्र
नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 जारी किए। सिफारिशों में से एक यह था कि छोटे आकार के खनन स्थलों पर (पाँच हेक्टेयर तक) एनड्राइड आधारित स्मार्ट फोन के साथ जोड़ा जाएगा तथा बड़े आकार (5 हेक्टेयर से अधिक) के खनन स्थल को सी.सी.टी.वी. कैमरे, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और पावर बैकअप के साथ जोड़ा जाएगा। अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग जल्द से जल्द खनन स्थलों पर इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।

6.3.11.5 पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों का सत्यापन

खनन योजना के अनुसार, धूल को उड़ने से रोकने के लिए सड़क के किनारे पानी का छिड़काव और वृक्षारोपण किया जाएगा।

नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15, गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16 और गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17 में क्षेत्र का दौरा करने पर सड़क के किनारे वृक्षारोपण और पानी का छिड़काव नहीं देखा गया। दृश्य पर्यवेक्षण से धूल की उच्च मात्रा का पता चला जिससे धूल के गुबार में वृद्धि हो सकती है जिस पर आवधिक रूप से निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, मजदूरों को डस्ट मास्क तथा अन्य सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे।

यद्यपि, सलाहकारों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट, ठेकेदार द्वारा वर्ष में दो बार प्रस्तुत की गई थी, तथापि संबंधित विभागों द्वारा वायु, जल, भूमि, ध्वनि, आदि की गुणवत्ता की पर्यावरण निगरानी की कोई नियमित जांच नहीं की गई थी। नदी के किनारों को भी उचित रूप से संरक्षित नहीं किया गया था।

6.3.12 स्टोन क्रशर

हरियाणा क्रशर विनियमन और नियंत्रण नियमावली, 1992 (क्रशर नियमावली, 1992) स्टोन क्रशरों के मालिकों को लाइसेंसों की प्रदानगी और इसका नवीकरण के प्रावधानों का विनियमन करता है। 1,094 स्टोन क्रशरों में से 229 के अभिलेखों की जांच की गई और क्रशर नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों के विरूद्ध जांचे और आंके गए। निम्नलिखित अनियमितताएं/कमियां देखी गई:

6.3.12.1 स्टोन क्रशरों द्वारा कच्चे माल की खरीद की निगरानी के लिए प्रणाली का अभाव

स्टोन क्रशर के लिए कच्चा माल हरियाणा की वैध खदानों के साथ-साथ राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की खदानों से भी खरीदा जाता है। हरियाणा में परिचालित स्टोन क्रशरों के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र भरकर खनन विभाग से लाइसेंस प्राप्त किए जाते हैं। तथापि आवेदन-पत्र में कच्चे माल की खरीद के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं होती है। यह जानकारी खनन विभाग के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आस-पास के राज्यों से खरीदा गया कच्चा माल संबंधित राज्यों की वैध खदानों से है। खरीद के स्रोत की निगरानी की कमी से अवैध खदानों से कच्चे माल की खरीद का जोखिम हो सकता है।

(i) लाइसेंसों के नवीकरण की अनुमति के लिए आवेदन-पत्रों का विलंबित प्रस्तुतिकरण/ प्रस्तुत न किया जाना

स्टोन क्रशरों के मालिक का लाइसेंस तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान/नवीकरण किया जाता है। 31 मार्च 2017 को राज्य में 1,094 स्टोन क्रशर थे, जिनमें से 229 स्टोन क्रशरों के लाइसेंस वर्ष 2016-17 के दौरान नवीकरण किए जाने देय थे। लेखापरीक्षा ने इन 229 मामलों की फाईलें जांची। इनमें से, 30 स्टोन क्रशरों के मालिकों ने अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किए। इन 30 स्टोन क्रशरों के बंद होने की रिपोर्ट संबंधित फाईलों में उपलब्ध नहीं थी। तथापि, इन 30 स्टोन क्रशरों में से छः (पांच फरीदाबाद में और एक गुरूग्राम में स्थित) के भौतिक सत्यापन पर यह पाया गया कि सभी छः स्टोन क्रशर बंद थे। 199 स्टोन क्रशरों के मालिकों ने अपने लाइसेंसों के नवीकरण की अनुमति के

लिए आवेदन-पत्र 11 और 650 दिनों की सीमा में विलंब के साथ प्रस्तुत किए जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 10: स्टोन क्रशरों के लाइसेंसों के नवीकरण की अनुमति के लिए आवेदन-पत्रों का विलंबित प्रस्तुतिकरण/प्रस्तुत न किया जाना

क्र. सं.	जिला	स्टोन क्रशरों की संख्या जिनका नवीकरण 2016-17 में देय था	आवेदन-पत्रों की संख्या जो विलंब से प्रस्तुत किए गए	विलंब की सीमा (दिनों में)	
				से	तक
1.	अंबाला	2	0	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	भिवानी	25	25	132	443
3.	फरीदाबाद	83	60	46	505
4.	गुरूग्राम	55	52	11	547
5.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	8	8	105	343
6.	पंचकूला	23	21	77	565
7.	यमुनानगर	33	33	85	650
कुल		**229**	**199**		

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि 30 स्टोन क्रशरों (अंबाला = 2, फरीदाबाद = 23, गुरूग्राम = 3 और पंचकूला = 2) के बंद होने की रिपोर्ट संबंधित एम.ओ. से मांगी गई थी। 30 स्टोन क्रशरों के संबंधित अभिलेखों की पुन: जांच के बाद, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन स्टोन क्रशरों (फरीदाबाद) के लाइसेंसों का मार्च 2018 और अक्तूबर 2018 के मध्य नवीकरण किया गया था, फरीदाबाद में एक स्टोन क्रशर के मालिक ने सितंबर 2018 में लाइसेंस के नवीकरण के लिए अपूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, विभाग ने गुरूग्राम और फरीदाबाद में प्रत्येक में एक मामले में लाइसेंस के नवीकरण के लिए क्रमश: जून 2017/अप्रैल 2018 में स्मरण-पत्र जारी किया/रिपोर्ट मांगी और शेष 24 स्टोन क्रशर (अंबाला = 2, फरीदाबाद = 18, गुरूग्राम = 2 तथा पंचकूला = 2) मार्च 2018 और नवंबर 2018 के मध्य संबंधित एम.ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार बंद/उखड़े हुए/अक्रियाशील पाए गए।

(ii) लाइसेंसों के नवीकरण की विलंबित अनुमति/अनुमति प्रदान न करना

विभाग द्वारा लाइसेंसों के नवीकरण की प्रदानगी में विलंब था। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि से विभाग द्वारा नवीकरण के लिए लाइसेंसों की प्रदानगी के विवरण नीचे तालिका में दिए गए है:

तालिका संख्या 11: स्टोन क्रशरों के लाइसेंसों के नवीकरण की विलंबित अनुमति/अनुमति प्रदान न करना

क्र. सं.	जिला	प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की संख्या	लाइसेंसों की संख्या		विलंब की सीमा (दिनों में)	
			विलंब से नवीकृत	नवीकृत नहीं किए गए	से	तक
1.	भिवानी	25	23	2	13	317
2.	फरीदाबाद	60	44	16	8	205
3.	गुरूग्राम	52	52	0	7	454
4.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	8	8	0	9	91
5.	पंचकूला	21	21	0	9	142
6.	यमुनानगर	33	33	0	8	494
कुल		**199**	**181**	**18**		

विभाग ने आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की तिथि से सात और 494 दिनों की सीमा के मध्य विलंब के साथ लाइसेंसों का नवीकरण किया। स्टोन क्रशरों ने लाईसेसों के नवीकरण के लंबन की अवधि के दौरान भी परिचालन जारी रखा। विभाग ने 18 स्टोन क्रशरों के मालिकों को लाईसेसों का नवीकरण प्रदान नहीं किया यद्यपि उन्होंने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए थे। लाइसेंस के नवीकरण की अप्रदानगी के कारण संबंधित फाईलों में उपलब्ध नहीं थे। तथापि, इन 18 स्टोन क्रशरों ने लाईसेसों का नवीकरण न होने के बावजूद परिचालन जारी रखा। यह विभाग में ये सुनिश्चित करने में कि केवल वैध लाइसेंस वाले स्टोन क्रशर ही परिचालन कर सकें, नियंत्रण यंत्रावली के अभाव का संकेत था।

181 में से 57 मामलों में, नवीकरण में विलंब एन.ओ.सी. की विलंबित प्राप्ति के कारण था। विलंब की सीमा चार और 419 दिनों के मध्य थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 12: लाइसेंसधारकों से एन.ओ.सी. की प्राप्ति में विलंब की सीमा

क्र.सं.	विलंब की सीमा (दिनों में)	मामलों की संख्या
1.	90 दिनों तक	23
2.	91 और 180 दिनों के मध्य	13
3.	181 और 270 दिनों के मध्य	15
4.	271 और 365 दिनों के मध्य	4
5.	365 दिनों से अधिक	2
कुल		**57**

इसमें से, 50 मामलों के अभिलेख की जांच एच.एस.पी.सी.बी. के कार्यालय में की गई और यह अवलोकित किया गया कि आवेदनकर्ताओं द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने में कोई विलंब नहीं था। विलंब या तो मालिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने या आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत करने के कारण था। परिणामत: विभाग द्वारा परिचालन के लिए लाइसेंसों के नवीकरण की प्रदानगी में विलंब था।

आगे, यह पाया गया कि तीन लाइसेंसधारकों[13] को विभाग द्वारा लाइसेंसों का नवीकरण प्रदान कर दिया गया तथा एच.एस.पी.सी.बी. से एन.ओ.सी. रिकार्ड में नहीं पाई गई थी। विभाग ने बताया कि एन.ओ.सी. (गुरूग्राम = 2 और पंचकूला = 1) कार्यालय में उपलब्ध थे और लाइसेंस एच.एस.पी.सी.बी. से एन.ओ.सी. प्राप्त करने के बाद ही नवीकृत किए गए थे। संबंधित अभिलेखों की पुन:जांच के बाद, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त तीन मामलों में से एक मामले (गुरूग्राम) में एन.ओ.सी. रिकार्ड में पाई गई थी तथा यह समय पर प्राप्त हुई थी। शेष दो मामलों (गुरूग्राम = 1 और पंचकूला = 1) में एन.ओ.सी. रिकार्ड में नहीं पाई गई थी। 133[14] मामलों में एन.ओ.सी. की वैधता लाइसेंस के नवीकरण की अवधि से कम होने पर लाइसेंस का नवीकरण प्रदान किया गया। विभाग ने बताया कि एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा परिचालन के लिए सहमति प्रदान करने की अवधि का संबंध स्टोन क्रशरों के लाइसेंस की प्रदानगी/नवीकरण की अवधि से नहीं था और एन.ओ.सी. की वैधता लाइसेंस के नवीकरण की प्रदानगी की तिथि को देखी गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (6 नवंबर 2018), विभाग ने बताया कि भिवानी और फरीदाबाद के 18 स्टोन क्रशर मालिकों ने लाईसेसों के नवीकरण के लिए आवेदन दिए परंतु आवेदन-पत्र बिना हस्ताक्षर के, लाइसेंस फीस के बिना नवीकरण के लिए आवेदित, एच.एस.पी.सी.बी. से वैध एन.ओ.सी. के बिना इत्यादि पाए गए। संबंधित अभिलेख की दुबारा जांच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने फरीदाबाद में फरवरी 2018 और अक्तूबर 2018 के मध्य 11 लाइसेंसों का नवीकरण किया जबकि सात लाइसेंसों (भिवानी = 2 और फरीदाबाद = 5) का नवीकरण आज तक विभाग द्वारा नहीं किया गया।

स्टोन क्रशर इकाइयों द्वारा लाइसेंसों के नवीकरण करवाने में विलंब था। विभाग यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि केवल वैध लाइसेंस वाले स्टोन क्रशर ही कार्य कर सकें।

6.3.12.2 स्टोन क्रशरों के लाइसेंसों के नवीकरण की अनुमति

क्रशर नियमावली, 1992 के नियम 3 और 6 में प्रावधान है कि लाइसेंस की प्रदानगी एवं इसके नवीकरण का आवेदन-पत्र निर्धारित प्राधिकारी को दिया जाएगा जिसके साथ ₹ 10,000 की निर्धारित फीस और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न होगा। इसमें आगे प्रावधान है कि लाइसेंसधारक लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र इसकी वैधता समाप्त होने से कम से कम छ: महीने पहले देगा। यदि

[13] गुरुग्राम - 2, तथा पंचकूला- 1

[14] भिवानी - 13, फरीदाबाद - 42, गुरुग्राम - 35, महेंद्रगढ़ (नारनौल) - 6, पंचकूला - 19 तथा यमुनानगर - 18.

नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र का निपटान पहले लाइसेंस की अवधि व्यतीत होने से पहले नहीं किया जाता तो इसे अस्वीकृत माना जाएगा।

6.3.13 ईंट भट्ठा

कोक सहित कोल जो ईंट भट्ठों में प्रयुक्त होता है, आपूर्ति जारी रखने या बढ़ाने के लिए या उनका समान वितरण संरक्षित करने या उचित मूल्यों पर उपलब्धता के लिए अनिवार्य उपभोग्य पदार्थ अधिनियम, 1955 के अंतर्गत शामिल है। अत: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उत्पादन, भंडारण और ब्रिकज के विक्रय के प्रयोजन से ईंट भट्ठों के मालिकों को लाइसेंसों की प्रदानगी सहित, इस निर्दिष्ट अनिवार्य खाद्य पदार्थ के संबंध में की गई लाइसेंसों की प्रदानगी और इसके नवीकरण के लिए अधिकृत है। विभाग ईंट भट्ठों में प्रयुक्त ब्रिक मिट्टी की खुदाई के लिए परमिट की प्रदानगी नियमित करता है। वर्तमान, ईंट भट्ठा मालिकों को लाइसेंसों की प्रदानगी और इसका नवीकरण हरियाणा ब्रिक नियंत्रण आपूर्ति आदेश, 1972 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नियमित की जाती है। 4,139 ईंट भट्ठों के अभिलेखों की जांच की गई और आदेश, 1972 में निहित उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार आंके गए। निम्नलिखित अनियमितताएं/कमियां देखी गई:

6.3.13.1 ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी, अतिरिक्त रॉयल्टी और उन पर ब्याज की कम/अवसूली

हरियाणा राज्य में भी यथा लागू पंजाब गौण खनिज रियायत अधिनियम, 1964 की धारा 24 और हरियाणा सरकार की जून 2012 की अधिसूचना में प्रावधान है कि ₹ 30,000, ₹ 25,000, ₹ 15,000 और ₹ 5,000 की वार्षिक रॉयल्टी की वसूली क्रमश: ए, बी, सी, और डी श्रेणी[15] के ईंट भट्ठों से प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल से की जानी है। आगे, वार्षिक रॉयल्टी के 25 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त रॉयल्टी भी ईंट भट्ठा मालिकों (बी.के.ओ.) से वसूलनीय है।

ऐसा करने में विफलता 15 प्रतिशत (30 दिनों तक) और 18 प्रतिशत (31 से 60 दिन) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज आकृष्ट करेगा। 60 दिन से अधिकतम विलंब के लिए 21 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के सहित चूक की पूरी अवधि के लिए समूची बकाया राशि की वसूली के साथ परमिट की निरस्तगी के लिए कार्रवाई आकृष्ट करेगा।

14 एम.ओ.[16] के कार्यालयों (सितंबर 2016 और जनवरी 2018 के मध्य) में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 4,139 में से 181 बी.के.ओ. द्वारा वार्षिक रॉयल्टी एवं अतिरिक्त रॉयल्टी के तौर पर अप्रैल 2013 और अप्रैल 2016 के मध्य ₹ 0.55 करोड़ जमा करवाने अपेक्षित थे। तथापि, ₹ 0.02 करोड़ की वसूली केवल सात बी.के.ओ. से की गई और वह भी देय तिथि के बाद परिणामस्वरूप ₹ 0.53 करोड़ की रॉयल्टी और अतिरिक्त रॉयल्टी का कम भुगतान/भुगतान नहीं हुआ। इसके अलावा, मार्च 2018 तक ₹ 0.24 करोड़ का ब्याज भी

---

15 ए श्रेणी: ईंट भट्ठा जिसके पास 11 लाख में अधिक ईंटें हैं; बी श्रेणी: ईंट भट्ठा जिसके पास 9 और 11 लाख के बीच ईंटें हैं; सी श्रेणी: ईंट भट्ठा जिसके पास सात और 9 लाख के बीच ईंटें हैं तथा डी श्रेणी: ईंट भट्ठा उस वर्ष के दौरान जलाया नहीं गया है जिसमें 1 अप्रैल को भट्ठे के अंदर और बाहर सभी प्रकार की ईंटों का उपलब्ध स्टॉक पांच लाख से अधिक न हो।

16 अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

उद्ग्राह्य था। विभाग ने न तो इन बी.के.ओ. का परमिट रद्द करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की न ही 60 दिनों से अधिक विलंब के लिए ब्याज का उद्ग्रहण किया। रेवाड़ी में, सभी 102 ईंट भट्ठों में कोई कमी नहीं देखी गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि बी.के.ओ. से रॉयल्टी की वसूली आदि एक सतत् चलते रहने वाली प्रक्रिया थी और बकाया रॉयल्टी, अतिरिक्त रॉयल्टी और उस पर देय ब्याज आगामी वर्ष के लिए वार्षिक रॉयल्टी जमा करने के समय बी.के.ओ. से वसूल कर लिया जाता। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि उस वर्ष जिसमें यह देय हो, राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए बी.के.ओ. से रॉयल्टी आदि की वसूली के लिए बेहतर मॉनीटरिंग की आवश्यकता थी।

6.3.14 आंतरिक नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग यंत्रावली

आंतरिक नियंत्रण एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभाग अभिन्नता सुनिश्चित करने और इसके उद्देश्यों को प्रभावी रूप से तथा दक्षता से प्राप्त करने के लिए इसकी गतिविधियों को संचालित करती है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली और विभागीय संहिता एवं नियमावली में निहित प्रावधानों का कड़ा पालन विभाग को लागू नियमों के अनुपालन, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता प्राप्त करने और इसके परिचालनों में प्रभाविकता एवं दक्षता प्राप्त करने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करता है।

6.3.14.1 मासिक/वार्षिक रिटर्नस की विलंबित/न प्रस्तुति होना

नियमावली 2012 के नियम 56 (15) में प्रावधान है कि एक ठेकेदार को प्रत्येक माह की 7 तारीख को निर्धारित प्राधिकारी को फार्म एम.एम.पी-1 में मासिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा जिसमें उठाए गए खनिज की कुल प्रमात्रा के विवरण होंगे और जैसा कि उक्त फार्म में निर्धारित हो, इसका मूल्य और ऐसे अन्य विवरण आगामी कलैंडर मास के दौरान क्षेत्र से प्रेषित करेगा। आगे, एक ठेकेदार प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को फार्म एम.एम.पी.-2 में एक वार्षिक रिटर्न निर्धारित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जिसमें गत वित्तीय वर्ष के दौरान निकाले गए प्रेषित और इकट्ठे किए गए खनिज की प्रमात्रा एवं मूल्य, नियुक्त श्रमिकों की औसत संख्या, हादसों, यदि कोई हो, की संख्या, भुगतान की गई प्रतिपूर्ति और कार्य किए गए दिनों की संख्या हो।

निम्नलिखित 10 एम.ओ. के कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया गया कि ठेकेदारों द्वारा क्रमश: फार्म एम.एम.पी.-I और एम.एम.पी.-2 में मासिक और वार्षिक रिटर्नस की प्रस्तुति में विलंब था, जिसके विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका संख्या 13: मासिक/वार्षिक रिटर्नस की विलंबित प्रस्तुति/अप्रस्तुति

क्र. सं.	खनन कार्यालय	खदान संविदाओं/पट्टों की कुल संख्या जहां रिटर्न विलंब से प्रस्तुत नहीं की गईं	फार्म एम.एम.पी-1 में मासिक रिटर्न की प्रस्तुति में विलंब की सीमा (दिनों में)		फार्म एम.एम.पी.-2 में वार्षिक रिटर्न की प्रस्तुति में विलंब की सीमा (दिनों में)
			से	तक	
1.	अंबाला	1	1	12	प्रस्तुत नहीं की गई
2.	भिवानी	9	1	100	प्रस्तुत नहीं की गई
3.	फरीदाबाद	2	प्रस्तुत नहीं की गई		प्रस्तुत नहीं की गई

क्र. सं.	खनन कार्यालय	खदान संविदाओं/पट्टों की कुल संख्या जहां रिटर्न विलंब से प्रस्तुत नहीं की गई	फार्म एम.एम.पी-1 में मासिक रिटर्न की प्रस्तुति में विलंब की सीमा (दिनों में)		फार्म एम.एम.पी.-2 में वार्षिक रिटर्न की प्रस्तुति में विलंब की सीमा (दिनों में)
			से	तक	
4.	हिसार	1	-	39	प्रस्तुत नहीं की गई
5.	कुरूक्षेत्र	1	5	110	प्रस्तुत नहीं की गई
6.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	10	2	175	एक मामले के अलावा प्रस्तुत नहीं की गई
7.	पंचकूला	3	14	249	प्रस्तुत नहीं की गई
8.	पानीपत	4	8	68	प्रस्तुत नहीं की गई
9.	सोनीपत	8	1	139	प्रस्तुत नहीं की गई
10.	यमुनानगर	11	1	166	प्रस्तुत नहीं की गई
कुल		**50**	**1**	**249**	

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एम.ओ. के पांच कार्यालयों[17] में किसी खान की नीलामी नहीं की गई। ठेकेदारों ने मासिक रिटर्नस एक से 249 दिनों की सीमा के मध्य विलंब से प्रस्तुत की। फरीदाबाद में दो ठेकेदारों ने वर्ष 2016-17 के दौरान फार्म एम.एम.पी.-1 में मासिक रिटर्नस प्रस्तुत नहीं की। वार्षिक रिटर्नस किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म एम.एम.पी.-2 में प्रस्तुत नहीं की गई। महेंद्रगढ़ (नारनौल) और भिवानी जहां पट्टे प्रदान किए गए थे, वार्षिक रिटर्नस महेंद्रगढ़ (नारनौल) में एक पट्टे के अलावा प्रस्तुत नहीं की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने स्वीकार किया कि मासिक/वार्षिक रिटर्नस की प्रस्तुति में विलंब कुछ मामलों में देखे गए और यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि ये रिटर्नस भविष्य में समय पर प्रस्तुत किए जाएं। विभाग ने आगे बताया कि ई-रवाना[18] नामक आई.टी. आधारित प्रस्तावित प्रणाली का प्रारंभ खदान गतिविधियों से संबंधित सूचना का वास्तविक समय सृजन करेगा।

मासिक/वार्षिक रिटर्नस के विलंबित प्रस्तुतिकरण/अप्रस्तुतिकरण के परिणामस्वरूप पट्टाधारकों से वसूलनीय डेड रेंट या रॉयल्टी की सही राशि का समय पर निर्धारण करने में विफलता हुई क्योंकि विभाग द्वारा केवल खनिजों की खुदाई और परिवहन की रेंडम जाँच का सहारा लिया गया। इसके अतिरिक्त, ऐसी रेंडम जांच के अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। परिणामत: विभाग भी यह निर्धारित करने में विफल रहा कि क्या वर्ष के दौरान निकाले गए खनिज की प्रमात्रा अनुमोदित योजना के अनुसार थी।

6.3.14.2 परिवहन के दौरान खनिजों की मॉनीटरिंग

नियम 2012 के नियम 98 (1) और (2) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति वैध खनिज परिवहन पास के बिना किसी भी वाहन द्वारा किसी भी खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाएगा। खनिज रियायतधारक आवेदन करेगा और संबंधित खनन अधिकारी द्वारा विधिवत संख्या में खनिज पारगमन पास वाली बुकलेट जारी की जाएगी। खनिज

17 गुरुग्राम, जींद, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

18 खनन कार्यों के संचालन, खनिजों के परिवहन, अवैध खनन की जाँच इत्यादि की निगरानी के लिए आई.टी. सक्षम सेवाओं के माध्यम से खनन प्रणाली के प्रशासन और विनियमन में एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन।

रियायतधारक, खनन अधिकारी द्वारा जारी किए गए खनिज पारगमन पास के विवरणों के साथ सभी प्राप्तियों एवं प्रेषणों का एक रजिस्टर रखेगा तथा मासिक उत्पादन एवं प्रेषण रिपोर्टों में इस तरह के विवरणों को प्रस्तुत करेगा तथा उसके द्वारा उपयोग किए गए खनिज पारगमन पास की बुकलेट का संपूर्ण लेखा तैयार करेगा।

आगे, नियम, 2012 के नियम 98 (5) में यह प्रावधान है कि सभी प्रासंगिक विवरण जैसे प्रेषण का स्रोत, वाहन का पंजीकरण नंबर, स्रोत से प्रेषित खनिज का भार या खनिज की मात्रा, ट्रांसपोर्टर का नाम और गंतव्य खेप को खनिज पारगमन पास में एक सुव्यवस्थित तरीके से भरा जाएगा, जिसे एक अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निदेशक, खदान और भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा के कार्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान (मई-जून 2019) लेखापरीक्षा को सूचित किया गया था कि खनिजों के परिवहन की जाँच को ध्यान में रखते हुए अंतर-राज्यीय प्रवेश द्वार पर या किसी अन्य बिंदु पर चेक पोस्ट/बैरियर स्थापित किए गए थे। ये चेक पोस्ट/बैरियर स्थायी नहीं हैं। ऐसे चेक पोस्टों की संख्या परिस्थिति के अनुसार बढ़ाई और घटाई जाती है।

लेखापरीक्षा ने पुन: अवलोकित किया कि खुदाई किए खनिजों, खनिजों को तोलने, खनन स्थलों से खनिजों को लाने ले जाने के लिए परमिटों इत्यादि से संबंधित अभिलेख संबंधित ठेकेदारों द्वारा नियुक्त स्टॉफ द्वारा रखा जा रहा था। विभाग ने ठेकेदारों द्वारा खुदाई किए गए और लाए-ले जाए गए खनिजों की केवल रैंडम जांच का सहारा लिया। इसके अतिरिक्त, ऐसी रैंडम जांच के अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे और विभाग उपर्युक्त किसी भी वैज्ञानिक तरीके का उपयोग किए बिना खनन गतिविधियों की मानवीय मॉनीटरिंग कर रहा था।

भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं मौसम परिवर्तन ने खनन गतिविधियों की मॉनीटरिंग के लिए स्थिर रेत खनन प्रबंध मार्गनिर्देश, 2016 जारी किए। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं:

- **परिवहन परमिटों में सुरक्षा विशेषताएं:** परिवहन परमिट अनुमोदित मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन (एम.आई.सी.आर.) कोड पेपर पर छपाया जाएगा, जिसमें यूनीक बारकोड, यूनीक क्विक रिस्पोंस (क्यू.आर) कोड, इंक पृष्ठभूमि, अदृश्य स्याही का निशान, खाली पैंटोग्राफ और वाटरमार्क होगा;

- **परिवहन परमिटों/रसीदों की स्कैनिंग और सर्वर पर अपलोडिंग:** ट्रांसपोर्ट परमिट के बार कोड में स्टोर किया गया डाटा सर्वर पर इसे अपलोड करने के लिए कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल (सिम) कार्ड पर इंटरनेट कनैक्टिविटी वाली एंडरॉयड एप्लीकेशन और निर्दिष्ट वैधता अवधि के भीतर सीमित प्रयोग के लिए यूनीक इनवॉयस कोड का सृजन सरल करने के लिए मोबाईल द्वारा लघु संदेश सेवा (एस.एम.एस.) भेजकर बार कोड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया जाएगा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि ई-रवाना प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया चरम अवस्था में थी, उन्नत चरण, जो खनन परिचालनों की मॉनीटरिंग खनिजों के परिवहन, अवैध खनन की जांच इत्यादि में उपयोगी होगी।

6.3.14.3 मानव संसाधन

निदेशक, खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय (दिसंबर 2017) में 2004-05 में विभिन्न संवर्गों में 293 की स्वीकृत स्टॉफ था। विभाग के पास विभिन्न संवर्गों में 268 की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध 31 मार्च 2017 को 164 की कार्यशील संख्या थी जिसके परिणामस्वरूप 104 (38.81 प्रतिशत) की सीमा तक मानवशक्ति की कुल कमी थी। फील्ड कार्यालयों में 31 मार्च 2017 को मुख्य संवर्ग-वार कमी नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका संख्या 14: फील्ड कार्यालयों में विशिष्ट संर्वगों में मानवशक्ति की कमी

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत स्टॉफ	नियुक्त स्टॉफ	कमी	कमी (प्रतिशत में)
1	खदान अभियंता/अधिकारी	18	10	8	44.44
2	खदान निरीक्षक	40	22	18	45.00
3	खदान लेखाकार/लिपिक	31	9	22	70.97
4	खदान गार्ड	117	84	33	28.21
कुल		**206**	**125**	**81**	

खदान लेखाकार/लिपिक के संवर्ग में 70.97 प्रतिशत रिक्तता थी। यह संवर्ग देय संविदा राशि, जमा की गई राशि, जमा की जाने की तिथि, चालान की प्रतियां, शेष देय राशि वसूलनीय ब्याज इत्यादि के विवरण वाली संविदाओं/पट्टों के लिए लेजर लेखा से संबंधित अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी है। इतनी भारी रिक्तता से अभिलेखों और ठेकेदारों से देयों की वसूली की निगरानी रखने पर बहुत प्रभाव पड़ा। हिसार, कुरूक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल) और रेवाड़ी में कोई खदान लेखाकार/लिपिक नियुक्त नहीं किए गए थे।

आगे, यह अवलोकित किया गया कि स्टॉफ की नियुक्ति तर्कसंगत नहीं थी। गुरूग्राम और जींद में खदान कार्यालयों में क्रमश: 17 और तीन खदान गार्ड तैनात थे जहां 31 मार्च 2017 तक खनन संविदा मौजूद नहीं थी। भिवानी (15 संविदाएं), हिसार (एक संविदा), कुरूक्षेत्र, (एक संविदा), रेवाड़ी (तीन संविदाएं) में प्रत्येक में खदान गार्ड के दो पद तथा फरीदाबाद (चार संविदाएं) और महेंद्रगढ़ (नारनौल) (11 संविदाएं) में प्रत्येक में छ: पद रिक्त पड़े थे जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 15: फील्ड कार्यालयों में तैनात खदान पहरेदारों के विवरण

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत स्टॉफ	ठेकों/पट्टों की संख्या	नियुक्त स्टॉफ	संविदाओं/पट्टों की संख्या के अनुसार आवश्यकता	संविदाओं/पट्टा की संख्या के अनुसार अधिकता (+)/कमी (-)
1.	गुरूग्राम	25	0	17	0	(+) 20
2.	जींद	3	0	3	0	
3.	भिवानी	10	15	8	10	(-) 20
4.	हिसार	3	1	1	3	
5.	कुरूक्षेत्र	3	1	1	3	
6.	रेवाड़ी	3	3	1	3	
7.	फरीदाबाद	18	4	12	18	
8.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	8	11	2	8	
कुल				**45**	**45**	**0**

जिन जिलों के पास खदान परिचालन नहीं थे उनमें तैनात 20 खदान गार्डों को उतनी ही संख्या की कमी वाले अन्य खदान जिलों में तैनात किया जा सकता था। सरकार ने विभाग की स्टॉफ की स्थिति की समीक्षा की तथा मार्च 2016 में विभिन्न संवर्गों में 125 पदों को अनुमोदित किया। परंतु इन पदों को मार्च 2018 तक भरा नहीं गया।

उपलब्ध मानवशक्ति की कोई तर्कसंगत तैनाती नहीं है। विभाग बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की स्थिति की समीक्षा कर सकता है।

6.3.14.4 आंतरिक लेखापरीक्षा विंग

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के हाथों में स्वयं को यह सुनिश्चित करने का यंत्र है कि क्या निर्धारित प्रणालियां ठीक से कार्य कर रही है। यह अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर विभागीय अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आंतरिक लेखापरीक्षा विंग विभाग में उपस्थित ही नहीं था। विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के अस्तित्व में न होने के बारे में वर्ष 2003-04 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट (राजस्व) में भी इंगित किया गया था, परंतु विभाग द्वारा गत 15 वर्षों के दौरान उपचारक कार्रवाई नहीं की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के उपस्थित न होने का परिणाम प्रभावी मॉनीटरिंग के अभाव एवं ठेकेदारों के विरूद्ध भारी बकायों के जमा होने में हुआ। विभाग ने ₹ 1,476.21 करोड़ की शेष बोली जमानत, ठेकेदारों से संविदा राशि और निधि, बी.के.ओ. से रॉयल्टी/अतिरिक्त रॉयल्टी समय पर संग्रहित नहीं किए परिणामस्वरूप राज्य सरकार को उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली संबंधित स्टॉफ की कमी के कारण थी। आगे, यह बताया गया कि अनुभाग अधिकारियों के पद पुनसंरचना प्रस्ताव में मांगे गए हैं।

6.3.15 निष्कर्ष

खदान एवं भू विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा से विभिन्न कमियां और त्रुटियां प्रकट हुई। विभाग ने उपलब्ध खनिज भंडार का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया है। खदान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957, नियमावली, 2012 के प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों की अनुपालना न किए जाने के मामले थे। ठेकेदारों द्वारा अनुबंधों के विलंबित निष्पादन/निष्पादित न किए जाने, शेष बोली जमानत के विलंबित जमा करने/जमा न करने, ठेकेदारों से संविदा राशि और उस पर ब्याज की मासिक किश्तों के कम जमा करने/जमा न करने के मामले थे। ठेकेदारों के साथ-साथ सरकार द्वारा निधि में कम अंशदान था और विभाग द्वारा निधि की मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी।

विभाग द्वारा खनन कार्यों की खराब निगरानी है। खदानों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से जमीन में सीमांकित नहीं किया गया है। अत्यधिक खनन के कारण नदी के प्रवाह में बदलाव और भू-जल के आमेलन के संकेत थे।

स्टोन क्रशर परिचालित करने के लाइसेंसों के नवीकरण में विलंब थे। कुछ स्टोन क्रशरों ने लाइसेंसों के बिना परिचालन जारी रखा। ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी, अतिरिक्त रॉयल्टी और उस पर ब्याज की कम वसूली/अवसूली भी देखी गई। ठेकेदारों द्वारा मासिक रिटर्नस की प्रस्तुति में विलंब था और वार्षिक रिटर्नस प्रस्तुत नहीं की गई।

6.3.16 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि सरकार विचार करे:

- राज्य के भीतर उपलब्ध खनिज रिजर्व का निर्धारण करना;
- खनन परिचालनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्यपरक निर्धारण मानदंड पर आधारित संभाव्य बोलीदाताओं की पूर्व बोली योग्यता की प्रणाली विकसित करने के लिए;
- शेष बोली जमानत की सामयिक वसूली, संविदा राशि और अन्य वसूलनीय देयों की मासिक किश्तें सुनिश्चित करने और बकाया देयों की प्रमात्रा को कम करने के लिए ठेकेदारों से बैंक/निष्पादन गारंटी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया अपनाने हेतु;
- खनन गतिविधियों की रिमोट मॉनीटरिंग के लिए वैज्ञानिक प्रद्धतियों का उपयोग जैसे खनन स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना तथा सतत रेत खनन प्रबंधन मार्गनिर्देश, 2016 में भारत सरकार की सिफारिशों अनुसार खनन किए खनिजों के अभिलेखों के रखरखाव हेतु आई.टी. आधारित कम्प्यूटरीकृत परिवहन परमिट और रसीदों/स्लिपों का प्रयोग करना;

- फील्ड कार्यालयों में कार्य के भार पर आधारित स्टॉफ की तर्कसंगत नियुक्ति सुनिश्चित करने; तथा

- प्रभावी निर्धारण, मॉनीटरिंग और सरकारी राजस्व की समय पर वसूली के लिए आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली मजबूत करने के लिए।

चण्डीगढ़
दिनांकः 01 अक्तूबर 2019

(फ़ैसल इमाम)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 04 अक्तूबर 2019

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक